बीज अधिनियम, 1966

(1966 का अधिनियम सं. 54)

29 दिसम्बर , 1966

कुछ विक्रयार्थ बीजों की क्वालिटी के विनियमन और तत्संसक्त बातों के लिए उपबन्ध करने के लिए अधिनियिम

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ:

भारत गणराज्य के सहवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:

1. (1) यह अधिनियम, बीज अधिनियम 1966 कहा जा सकेगा

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिए तथा विभिन्न राज्यों के लिए या उनके क्षेत्रों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

परिभाषायें :

2. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(1) 'कृषि 'के अन्तर्गत उद्यान कृषि आती है

(2) ''केन्द्रीय'' बीज प्रयोगशाला अभिप्रेत है।

(3) 'प्रमाणन अभिकरण' से धारा 8 के आधीन स्थापित या धारा 18 के अधीन मान्यता प्राप्त प्रमाणन अधिकरण अभिप्रेत है;

(4) 'समिति' से धारा 2 की उपधारा (1) के आधीन गठित केन्द्रीय बीज समिति अभिप्रेत है;

(5) 'आधान' से कोई बक्स, बोतल, संदूकची, टिन, पीपा, डिब्बा, पात्र बोरी, थैला, आवेष्टन या अन्य वस्तु, जिसमें कोई चीज या वस्तु रखी जाती है या पैक की जाती है, अभिप्रेत है;

(6) 'निर्यात' से भारत में से भारत के बाहर के स्थान को ले जाना अभिप्रेत है;

(7) 'आयात' से भारत के बाहर के स्थान से भारत में लाना अभिप्रेत है;

(8) 'किस्म' से फसल के पौधों की एक या अधिक सम्बद्ध जातियां या उपजातियांअभिप्रेत है, जिनमें हर एक अलग-अलग या संयुक्त रूप से एक सामान्य

नाम से जानी जाती है, जैसे बन्दगोभी, मक्का, धान और गेंहूँ;

(9) किसी बीज के सम्बन्ध में 'अधिसूचित किस्म या उपकिस्म' से उसकी धारा 5 के आधीन अधिसूचित किस्म या उपकिस्म अभिप्रेत है।

(10) 'विहित' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(11) बीज से बोने या रोपण करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले बीजों के निम्नलिखित वर्गो में से कोई अभिप्रेत है:-

(i) खाद्य फसलों के बीज, जिनके अन्तर्गत खाद्य तिलहन और फलों तथा शाकों के बीज आते हैं;

(ii) बिनौला;

(iii) पशुओं के चारे के बीज;

और इसके अन्तर्गत खाद्य फसलों या पशुओं के चारे की पौध और कंद,, शल्क कंद, प्रकंद, जड़ें कलमें, सब प्रकार के उपरोप और कायिक रूप से प्रवर्धित अन्य पदार्थ आते हैं;

(12) 'बीज विश्लेषक' अभिप्रेत है;

(13) 'बीज निरीक्षक' से धारा 13 के आधीन नियुक्त बीज निरीक्षक अभिप्रेत है;

(14) संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में 'राज्य सरकार' से उस राज्यक्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है;

(15) किसी राज्य के सम्बन्ध में, 'राज्य बीज प्रयोगशाला' से उस राज्य के लिए धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन स्थापित या इस रूप में घोषित राज्य बीज प्रयोगशाला अभिप्रेत है; तथा

(16) 'उपकिस्म' से किस्म का ऐसा उपविभाजन अभिप्रेत है जो वृद्धि, उपज, पौधे, फल, बीज या अन्य लक्षण से पहचाना जा सकता है।

केन्द्रीय बीज समिति :

3. (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, केन्द्रीय सरकार, स्वयंउसे और राज्य सरकारों को इस अधिनियम के प्रशासन से उद्भूत होने वाली बातों पर सलाह देने के लिए और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे सौंपे गए अन्य कृत्यों का पालन करने के लिए केन्द्रीय बीज समिति कही जाने वाली एक समिति गठित करेगी।

(2) समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेनी, अर्थात-

(i) एक सभापति, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा;

(ii) आठ व्यक्ति, जो ऐसे हितों का, जिन्हें केन्द्रीय सरकार ठीक समझे प्रतिनिधित्व करने के लिए उस सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जायेंगे और जिनमें से दो से अन्यून व्यक्ति बीज उगाने वालों के प्रतिनिधि होंगे;

(iii) राज्यों में से हर एक के द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाने वाला एक-एक व्यक्ति

(3) समिति के सदस्य, जब तक उनके स्थान पद-त्याग या मृत्यु के कारण या अन्यथा पहले ही रिक्त न हो जाएं, दो वर्ष के लिए पद धारण करने के हकदार होंगे और पुन: नाम निर्दिष्ट होने के पात्र होंगे।

(4) समिति, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन के अध्यधीन रहते हुए, उपविधियांबना सकेगी, जिनसे गणपूर्ति नियत हो तथा स्वयंउसकी प्रक्रिया और उसके द्वारा संव्यवहृ किए जाने वाले सब कारबार का संचालन विनियमित हो।

(5) समिति, चाहे तो पूर्णतया समिति के सदस्यों से चाहे पूर्णतया अन्य व्यक्तियों से चाहे भागत: समिति के सदस्यों से और भागत: अन्य व्यक्तियों से, जैसा वह ठीक समझे, मिलकर बनने वाली एक या अधिक उपसमितियां, समिति के कृत्यों में से ऐसे कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजनार्थ, जो उस उपसमिति या उन उपसमितियों को समिति द्वारा प्रत्यायोजित किए जाएं, नियुक्त कर सकेगी।

(6) समिति के या उसके किसी उपसमिति के कृत्य, उसमें कोई रिक्त होते हुए भी, किए जा सकेंगे।

(7) केन्द्रीय सरकार एक व्यक्ति को समिति का सचिव नियुक्त करेगी और समिति के लिए ऐसे लिपिकीय तथा अन्य कर्मचारिवृन्द का उपबन्ध करेगी जो केन्द्रीय सरकार आवश्वक समझे।

केन्द्रीय बीज प्रयोगशाला और राज्य बीज प्रयोगशाला :

4. (1) केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय बीज प्रयोगशाला को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन न्यस्त किए गए कृत्यों के पालन के लिए केन्द्रीय बीज प्रयोगशाला घोषित कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक या अधिक राज्य बीज प्रयोगशालाएंस्थापित कर सकेगी या किसी बीज प्रयोगशाला को राज्य बीज प्रयोगशाला घोषित कर सकेगी, जहाँ किसी अधिसूचित किस्म या उपकिस्म के बीजों का विहित रीति से विश्लेषण इस अधिनियम के अधीन बीज विश्लेषकों द्वारा किया जाएगा।

बीज की किस्मों या उपकिस्मों को अधिसूचित करने की शक्ति :

5. यदि समिति से परामर्श के पश्चात् केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि कृषि के प्रयोजनार्थ बेचे जाने वाले बीज की किसी किस्म या उपकिस्म की क्वालिटी का विनियमन करना आवश्वक या समीचीन है, तो वह ऐसी किस्म या उपकिस्म को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ अधिसूचित किस्म या उपकिस्म, शासकीय राजपत्र में अधिासूचना द्वारा, घोषित कर सकेगी और विभिन्न राज्यों के लिए या उसके विभिन्न भागों के लिए विभिन्न किस्में या उपकिस्में घोषित की जा सकेगी।

अंकुरण और शुद्धता आदि की न्यनतम सीमायें विनिर्दिष्ट करने की शक्ति:

6. केन्द्रीय सरकार, समिति से परामर्श के पश्चात अैर शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित विनिर्दिष्ट कर सकेगी:

(क) किसी अधिसूचित किस्म या उपकिस्म के बीज के बारे में अंकुरण और शुद्धता की न्यूनतम सीमाएं;

(ख) वह चिन्ह या लेबल जिससे यह प्रतीत हो कि बीज अंकुरण और शुद्धता की खण्ड (क) के अधीन विनिर्दिष्ट न्यून्तम सीमाजों के अनुरूप है और ये विशिष्टियांजो ऐसे चिन्ह या लेबल में अन्तर्विष्ट हो।

अनुसूचित किस्मों या उपकिस्मों के बीजों के विक्रय विधियमन :

7. कोई व्यक्ति स्वयंया अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से किसी अधिसूचित किस्म या उपकिस्म के बीज को बेचने, विक्रय के लिए रखने, बेचने की प्रस्थापना करने उसका वस्तु विनियम करने या अन्यथा संदाय करने का कारबार तब से सिवाय नहीं चलाएगा जबकि-

(क) उस बीज की किस्म या उपकिस्म के बारे में पहचान हो सके;

(ख) वह बीज धारा 6 किस्म के खण्ड (क) के अधीन विनिर्दिष्ट अंकुरण और शुद्धता की न्यूनतम सीमाओं के अनुरूप हो;

(ग) धारा 6 के खण्ड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट उसकी ठीक विशिष्टियों से युक्त चिन्ह या लेबल विहित रूप से उस बीजे के आधान पर लगा हो; तथा

(घ) वह अन्य ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन करे जो विहित की जाए।

प्रमाणन अभिकरण :

8. राज्य सरकार या उसके परामर्श से केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रमाणन अभिकरण को न्यूनतम कृत्यों के पालन के लिए एक प्रमाणन अभिकरण शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, स्थापित कर सकेगी।

प्रमाणन अभिकरण द्वारा प्रमाण-पत्र का अनुदान :

9. (1) यदि कोई व्यक्ति जो किसी अधिसूचित किस्म या उपकिस्म का बीज बेचे, बेचने की प्रस्थापना करे उसका वस्तु विनियम करे या अन्यथा संदाय करे, तो उस बीज को प्रमाणन अभिकरण द्वारा प्रमाणित कराने की वांछा करे, तो वह उस प्रयोजनार्थ प्रमाण-पत्र के लिए प्रमाणन अभिकरण से आवेदन कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन हर आवेदन ऐसे प्ररूप में किया जायेगा, उसमें ऐसी विशिष्टियाँ अन्तर्दिष्ट होंगी और उसके साथ में ऐसी फीस होगी जो विहित की जाए।

(3) प्रमाणपत्र के अनुदान के लिए ऐसे किसी आवेदन के प्राप्त होने पर प्रमाणन अभिकरण ऐसे जांच के पश्चात जो वह ठीक समझे और अपना इस बात का समाधान करने के पश्चात कि वह बीज जिसके सम्बन्ध में आवेदन है उस बीज के लिए धारा 6 के खण्ड (क) के अधीन विनिर्दिष्ट अंकुरण और शुद्धता की न्यूनतम सीमाओं के अनुरूप है एक प्रमणपत्र ऐसे प्रारूप में और ऐसी शर्तो के अनुदत्त कर सकेगा जो विहित की जाए।

प्रमाणपत्र का प्रतिसंहरण :

10. यदि प्रमाणन अभिकरण का उससे इस निमित्त निर्देश किए जाने पर या अन्यथा, इस बात का समाधान हो जाए कि-

(क) धारा 9 के अधीन उसके द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र किसी आवश्यक तथ्थ के बारे में दर्व्यपदेशन (misrepresentation) द्वारा अभिप्राय किया गया है, अथवा

(ख) प्रमाणपत्र का धारक उन शर्तो के अनुपालन में जिनके अध्यधीन कि प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है, युक्तियुक्त हेतुक के बिना असफल रहा है या उसने इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन किया है; तों किसी ऐसे अन्य शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जिसका कि प्रमाणपत्र का धारक इस अधिनियम के अधीन दायी हो, प्रमाणन अभिकरण प्रमाणपत्र के धारक को हेतु दर्शित करने का अवसर देने के पश्चात प्रमाणपत्र को प्रतिसंरहत कर सकेगा।

अपील :

11. (1) कोई व्यक्ति जो प्रमाणन अभिकरण की धारा 9 या धारा 10 के अधीन के विनिश्चत से व्यथित हो, उस तारीख से 30 दिन के भीतर जब उसे वह विनिश्चत

संसूचित किया जाए, और ऐसे फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, ऐसे प्राधिकारी को अपील कर सकेगा जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए।

परन्तु यदि अपील प्राधिकारी का समाधान हो जाए कि समय के भीतर अपील फाइल करने में अपालीर्थी पर्याप्त हेतुक से निवारित हुआ तो वह तीस दिन की उक्त कालावधिक के अवसान के पश्चात भी अपील ग्रहण कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन अपील प्राप्त होने पर अपील प्राधिकारी अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चता यथासम्भव शीघ्रता के साथ निपटाएगा।

बीज विश्लैषक :

12. शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य सरकार विहित अर्हतायें रखने वाले ऐसे व्यक्तियों को जिन्हेंवह ठीक समझे, बीज विश्लेषक नियुक्त कर सकेंगी, और व क्षेत्र परिभाषित कर सकेगी जिनमें वे अधिकारिता का प्रयोग करेंगे।

बीज निरीक्षक :

13. (1) शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार विहित अर्हताएंरखने वाले ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें वह ठीक समझे, बीज निरीक्षक के रूप में नियुक्त कर सकेगी और वे क्षेत्र परिभाषित कर सकेगी जिनमें वे अधिकारिता का प्रयोग करेंगे।

(2) हर बीज निरीक्षक भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 21 के अर्थ के अन्दर लोक सेवक समझा जाएगा और शासकीय रूप में ऐसे प्राधिकारी के अधीनस्थ होगा जिसे राज्य सरकार इस निमित विनिर्दिष्ट करे।

बीज निरीक्षक की शक्तियॉं :

14. (1) बीज निरीक्षक

(क) निम्नलिखित से किसी अधिसूचित किस्म या उपकिस्म के बीज के नमूने ले सकेगा :

(I) ऐसे बीज को बेचने वाला कोई व्यक्ति,

(II) कोई व्यक्ति जो किसी क्रेता या परेषिती को ऐसा बीज प्रवहित करने, परिदत्त करने या परिदत्त करने की तैयारी करने के अनुक्रम में है;

(III) कोई क्रेता या परेषिती जिसे ऐसे बीज का परिदान हो चुका है;

(ख) ऐसे नमूने उस क्षेत्र के बीज विश्लेषक की, जिसमें वह नमूना लिया हो, विश्लेषणार्थ भेज सकेगा;

(ग) किसी ऐसे स्थान में जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का

कारण हो कि उसमें इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है ऐसी सहायता के साथ यदि कोई हो जैसे वह आवश्यक समझे, सब युक्तियुक्त समयों पर प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा, तथा किसी ऐसे बीज को, जिसके बारे में अपराध किया गया है या किया जा रहा है कब्जे में रखने वाले व्यक्ति को लिखित आदेश दे सकेगा कि वह तीस दिन से अनधिक की विनिर्दिष्ट कालावधि पर्यन्त ऐसे अधिसूचित बीज के किसी स्टाक का व्ययन न करे, अथवा तब के सिवाय जब कि अभिकथित अपराध ऐसा हो त्रुटि बीज के कब्जाधारी द्वारा की जा सकती है, ऐसे बीज के स्टाक का अधिग्रहण कर सकेगा;

(घ) खंड(ग) में वर्णित किसी स्थान में पाए गए किसी अभिलेख, रजिस्टर दस्तावेज या अन्य भौतिक पदार्थ की परीक्षा कर सकेगा और यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि वह इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के किए जाने का साक्ष्य हो सकेगा तो उसका अधिग्रहण कर सकेगा;

(ड.) अन्य ऐसी शक्तियों का, जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हो, प्रयोग कर सकेगा।

(2) जहां किसी अधिसूचित किस्म या उपकिस्म के बीज का नमूना उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन लिया जाय, वह उसकी उस दर से संगणित कीमत, जिस पर ऐसा बीज प्राय: जनता को बेचा जाता है, मांगे जाने पर उस व्यक्ति को दी जायगी जिससे वह नमूना लिया गया हो।

(3) इस धारा द्वारा प्रदत्त के अन्तर्गत ऐसे कोई आधान, जिसमें किसी अधिसूचित किस्म या उपकिस्म का बीज हो तोड़कर खोलने की शक्ति या ऐसे किसी परिसर के द्वार को जिसमें ऐसे बीज विक्रयार्थ रखे हो, तोड़कर खोलने की शक्ति आती है। परन्तु द्वार तोड़कर खोलने की शक्ति का प्रयोग तभी किया जाएगा जब स्वामी या परिसर का अधिभोगी अन्य व्यक्ति, यदि वह उसमें उपस्थित हो तो ऐसे करने की अपेक्षा किए जाने पर भी द्वार खोलने से इन्कार करे।

(4) जहाँ कि बीज निरीक्षक उपधास (1) के खण्ड (क) के अधीन कार्यवाही करे वहांजहांसम्भव हो दो से अन्यून व्यक्तियों को उस समय पर उपस्थित होने के लिए बुलाएगा जब ऐसी कार्यवाही की जाय और वह उनके हस्ताक्षर एक ज्ञापन पर कराएगा जो कि विहित प्रारूप में और विहित रीति से तैयार किया जाएगा।

(5) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) के उपबन्ध इस धारा के अधीन की किसी तलाशी या अधिग्रहण उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उक्त संहिता की धारा 98 के अधीन निकाले गए वारन्ट के प्राधिकारी से ली गई तलाशी या किए

अभिग्रहण को लागू होते है।

बीज निरीक्षकों द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया :

15. (1) जब कभी किसी बीज निरीक्षक का आशय किसी अधिसूचित किस्म या उपकिस्म के बीज विश्लेषणार्थ नमूना लेने का हो तब वह-

(क) उस व्यक्ति को जिससे नमूना लेने का उसका आशय हो अपने उस आशय की लिखित सूचना तुरन्त वही देगा;

(ख) उन विशेष मामलों के सिवाय जिनका इस अधिनियम के अधीन बनाए नियमों के द्वारा उपबन्ध किया जाय, तीन प्रतिनिधि नमूने विहित रीति से लेगा और हर एक नमूने को ऐसे रीति से, जो उसकी प्रकृति के अनुसार अपनाई जा सके, चिन्हित करेगा मुद्राबन्द करेगा या बांधेगा।

(2) जब किसी अधिसूचति किस्म या उपकिस्म के बीज के नमूने उपधारा (1) के अधीन लिए जाएं तो बीज निरीक्षक-

(क) एक नमूना उस व्यक्ति को परिदत्त करेगा जिससे वह लिया गया हो;

(ख) दूसरा नमूना उस क्षेत्र के बीज विश्लेषक को जिसमें वह नमूना लिया गया हो विश्लेषक को जिसमें वह नमूना लिया गया हो विश्लेषणार्थ विहित रीति से भेजेगा; तथा

(ग) शेष नमूने को विहित रीति से प्रतिधारित करेगा जिससे यथास्थिति, विधिक कार्यवाही की जाने की दशा में वह पेश किया जाय या केन्द्रीय बीज प्रयोगशाला द्वारा धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन उसका विश्लेषण किया जाए।

(3) यदि वह व्यक्ति जिससे नमूने लिए गए हों उन नमूनों में से एक का प्रतिग्रहण करने से इन्कार करे तो बीज निरीक्षक ऐसे इन्कार की प्रज्ञापना बीज विश्लेषक को भेज देगा और तब वह बीज विश्लेषक जिसे विश्लेषणार्थ नमूना प्राप्त हुआ हो उसे दो भागों में विभाजित करेगा और उनमें से एक भाग को मुद्राबन्द करेगा या बांधेगा और, या तो नमूने की प्राप्ति पर या जब वह अपनी रिपोर्ट का परिदान करे तब उसे बीज निरीक्षक को परिदत्त कराएगा जो विधिक कार्यवाही किए जाने की दशा में पेश करने के लिए उसे प्रतिधारित करेगा।

(4) जहां कि बीज निरीक्षक धारा 14 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन कोई कार्यवाही करे वहाँ -

(क) वह इस बात का अभिनिश्चय करने के लिए पूरी शीघ्रता करेगा कि वह बीज धारा 7 के उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन करता है या नहीं और यदि वह अभिनिश्चय हो जाय कि वह व्यक्ति ऐसा उल्लंघन नहीं करता है तो वह, यथास्थिति,

उक्त खण्ड के अधीन पारित आदेश तुरन्त प्रतिसंहत कर लेगा या ऐसी कार्यवाही करेगा जो अभिग्रहीत बीज के स्टाक को वापस करने के लिए आवश्यक हो;

(ख) यदि वह बीज के स्टाक का अभिग्रहण करे तो वह मजिस्ट्रेट को शीघ्र इत्तिला देगा और उस स्टाक की अभिरक्षा के बारे में उसका आदेश लेगा।

(ग) किसी अभियोजन के संस्थित किए जाने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि अभिकथित अपराध ऐसा हो कि त्रुटि बीज का कब्जा रखने वाले द्वारा दूर की जा सके तो वह, अपना इस बात का समाधान हो जाने पर कि त्रुटि इस प्रकार दूर कर दी गई है, उक्त खण्ड के अधीन पारित आदेश तुरन्त प्रतिसंहत कर लेगा।

(5) जहां कि बीज निरीक्षक धारा 14 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन कोई अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज या अन्य भौतिक पदार्थ अभिग्रहीत करे जहाँ वह मजिस्ट्रेट को यथाशक्य शीघ्र इत्तिला देगा और उसकी अभिरक्षा के बारे में उसके आदेश लेगा।

बीज विश्लेषक की रिपोर्ट :

16.(1) धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन नमूने की प्राप्ति के पश्चात यथाशीघ्र बीज विश्लेषक नमूने का विश्लेषण राज्य बीज प्रयोगशाला में करगा और वह विश्लेषण के परिणाम की रिपोर्ट की एक प्रति बीज निरीक्षक को और उसकी दूसरी प्रति उस व्यक्ति को, जिससे नमूना लिया गया हो, ऐसे प्रारूप में, जो विहित किया जाए, परिदत्त करेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन अभियोजन संक्षिप्त किए जाने के पश्चात् अभियुक्त विक्रेता या परिवादी विहित फीस देकर न्यायालय को इस बात के लिए आवेदन कर सकेगा कि धारा 15 की उपधारा (2) से खंड (क) या खंड (ग) में वर्णित नमूनों में से किसी नमूने को केन्द्रीय बीज प्रयोगशाला को उसकी रिपोर्ट के लिए भेजा जाये और आवेदनकी प्राप्ति पर न्यायालय पहले इस बात का अभिनिश्चय करेगा कि धारा 15 की उपधारा (1) के खंड (ख) में यथा उपबंधित चिन्ह और मुद्रा या बंधन अविकल हैं और तब वह नमूने को अपनी मुद्रा से अंकित करके केन्द्रीय बीज प्रयोगशाला को भेज सकेगा, जो नमूने की प्राप्ति की तारीख से एक मास के विश्लेषण का परिणाम विनिर्दिष्ट करते हुए विहित प्रारूप में अपनी रिपोर्ट न्यायालय को भेजेगी।

(3) केन्द्रीय बीज प्रयोगशाला द्वारा उपधारा(2) के अधीन भेजी गई रिपोर्ट बीज विश्लेषक द्वारा उपधारा (1) के अधीन दी गई रिपोर्ट को अतिष्ठित कर देगी।

(4) जहांकि केन्द्रीय बीज प्रयोगशाला द्वारा उप धारा (2) के अधीन भेजी गई रिपोर्ट धारा 19 के अधीन की किसी कार्यवाही में पेश की जाए वहाँ उस कार्यवाही में यह आवश्वक न होगा कि विश्लेषणार्थ लिया गया कोई नमूना या उसका भाग पेश किया

अधिसूचित किस्मों या उप किस्मों के बीजों के निर्यात और आयात पर निर्बंधन:

17. कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति द्वारा (जिसमें वह स्वयंआता है) बोए जाने या रोपण के प्रयोजनार्थ, किसी अधिसूचित किस्म या उपकिस्म के बीज का आयात या निर्यात तब के सिवाय न तो करेगा और न करवायेगा, जबकि-

(क) वह उस बीज के लिए धारा 6 के खंड (क) के अधीन विनिर्दिष्ट अंकुरण और शुद्धता की न्यूनतम सीमाओं के अनुरूप हो; तथा

(ख) उस बीज के लिए धारा 6 के खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट उसकी ठीक विशिष्टियों से युक्त चिन्ह या लेबल विहित रीति से उसके अधान पर लगा हो।

विदेशों के बीज प्रमाणन अभिकरणों को मान्यता:

18. समिति की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार विदेश में स्थापित किसी बीज प्रमाणन अभिकरण को शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ मान्यता दे सकेगी।

शास्ति (दण्ड):

19. यदि कोई व्यक्ति -

(क) इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए किसी नियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करेगा ; अथवा

(ख) बीज निरीक्षक को इस अधिनियम के अधीन नमूना लेने से निवारित करेगा; अथवा

(ग) बीज निरीक्षक को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी अन्य शक्ति का प्रयोग करने से निवारित करेगा; तो वह दोष सिद्ध किए जाने पर निम्नलिखित प्रकार से दण्डनीय होगा-

(i) प्रथम अपराध के लिए, जुर्माने से, जो पांच सौ रूपये तक का हो सकेगा; तथा

(ii) उस दशा में जब कि ऐसा व्यक्ति इस धारा के अधीन अपराध का पहले ही दोष सिद्ध किया जा चुका हो, कारावास से जो छः मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से।

सम्पत्ति का समपहरण :

20. जब कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों में से किसी के उल्लंघन के लिए इस अधिनियिम के अधीन दोष सिद्ध किया गया हो, वह बीज जिसके बारे में उल्लंघन किया गया हो, सरकार को समपहृत किया जा

सकेगा।

कम्पनियों द्वारा अपराध :

21. (1) जहांकि इस अपराध अधिनियम के अधीन अपराध कम्पनी द्वारा किया गया है वहाँ हर व्यक्ति जो अपराध किये जाने के समय कम्पनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उस कम्पनी के प्रति उत्तरदायी था, और वह कम्पनी भी, उस अपराध के दोषी समझे जायेंगे और तदनुसार अपने विरूद्ध कार्यवाही की जाने और दण्डित किये जाने के दायित्व के अधीन होंगे :

परन्तु इस उपधारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात ऐसे किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन किसी दण्ड के दायित्व के अधीन न करेगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था और ऐसे अपराध का किया जाना निवारित करने के लिए उसने सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहांकि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित कर दिया जाता है कि वह अपराध कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित कर दिया जाता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य आफीसर की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया है या उसकी ओर से हुई किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है वहाँ ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य आफीसर उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरूद्ध कार्यवाही की जाने और दण्डित किये जाने के दायित्व के अधीन होगा।

स्पष्टीकरण :

इस धारा के प्रयोजनों के लिए-

(क) कम्पनी से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम आता है ; तथा

(ख) फर्म के सम्बन्ध में निदेशक से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए परित्राण :

22. कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए सरकार या सरकार के किसी आफीसर के विरूद्ध न होगी।

निर्देश देने की शक्ति :

23. केन्द्रीय सरकार किसी राज्य सरकार को ऐसे निर्देश दे सकेगी जो केन्द्रीय सरकार को इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम के उस राज्य में

निष्पादित करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो।

छूट :

24. इस अधिनियम की कोई बात किसी ऐसे अधिसूचित किस्म या उपकिस्म के बीज को लागू नहीं होगी जो किसी व्यक्ति द्वारा उगाया गया हो, और उसके द्वारा स्वयंअपने परिसर में सीधे किसी अन्य व्यक्ति को, उस व्यक्ति द्वारा बोए जाने या रोपण के प्रयोजनार्थ उपयोग में लाये जाने के लिए बेचा या परिदत्त किया गया हो।

नियम बनाने की शक्ति :

25. (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।

(2) विशिष्टत: और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेंगे-

(क) समिति के कृत्य और समिति के सदस्यों, तथा धारा 3 की उपधारा (5) के आधीन नियुक्त किसी उपसमिति के सदस्यों को संदेय यात्रा एवंदैनिक भत्ते;

(ख) केन्द्रीय बीज प्रयोगशाला के कृत्य;

(ग) प्रमाणन अभिकरण के कृत्य :

(घ) किसी अधिसूचति किस्म या उपकिस्म के बीज के आधान को धारा 7 के खंड (ग) और धारा 17 के खण्ड (ख) के अधीन चिन्हित करने या उस पर लेबल लगाने की रीति;

(ड.) वे अपेक्षायें जो धारा 7 में निर्दिष्ट कारोबार चलाने वाले व्यक्ति द्वारा अनुपालित की जाये;

(च) धारा 9 के अधीन प्रमाणपत्र के अनुदान के लिए आवेदन का प्रारूप, व विशिष्टियॅा जो उसमें अन्तर्विष्ट हों, वह फीस जो उसके साथ होनी चाहिए, प्रमाणपत्र का प्रारूप, वे शर्ते जिनके अध्ययीन प्रमाणपत्र अनुदत्त किया जा सकेगा;

(छ) वह प्रारूप जिसमें, वह रीति जिससे और वह फीस जिसके दिए जाने पर धारा 11 के अधीन अपील की जा सकेगी तथा अपील निपटाने में अपील प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(ज) बीज विश्लेषक और बीज निरीक्षकों की अर्हतायेंऔर कर्तव्य;

(झ) वह रीति जिससे नमूने बीज निरीक्षक द्वारा लिए जा सकेंगे, ऐसे नमूने बीज विश्लेषक या केन्द्रीय बीज प्रयोगशाला को भेजने की प्रक्रिया और ऐसे नमूनों के विश्लेषण की रीति;

(य) धारा 16 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन विश्लेषक के

परिणाम की रिपोर्ट का प्रारूप और उक्त उपधारा (2) के अधीन ऐसी रिपोर्ट के बारे में संदेय फीस;

(ट) धारा 7 में निर्दिष्ट कारोबार चलाने वाले व्यक्ति द्वारा रखे जाने वाले अभिलेख और वे विशिष्टियांजो ऐसे अभिलेखों में अन्तर्विष्ट होगी; तथा

(ठ) कोई अन्य बात जो विहित की जानी है या की जाए।

(3) इस अधनियिम के अधीन बनाया गया हर नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, संसद के हर सदन के समक्ष, उस समय जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर तीस दिन की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो क्रमवर्ती सत्र में हो, कुल मिलाकर तीस दिन की कालावधि के लिए, जो एक सत्र या दो क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के, जिसमें वह ऐसे रखा गया हो, या अव्यवहित पश्चात्वर्ती सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई उपान्तर करने के लिए सहमत हो जाएंया दोनों सदन सहमत हो जांए कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात यथास्थिति, वह नियम ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावशील होगा या उसका कोई भी प्रभाव न होगा, किन्तु इस प्रकार कि ऐसा कोई उपान्तर या वातिलकरण उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

बीज अधिनियम में संशोधन

बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतत् द्वारा बीज नियम 1968 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है-

(1) इन नियमों को बीज (संशोधन) नियम, 1974 कहा जायेगा।

(2) उपर्युक्त नियमों में नियम 23 के बाद निम्नलिखित नियम जोड़ा जायेगा अर्थात 23 - ए कोई शिकायत करने पर बीज निरीक्षक द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

(1) यदि कोई किसान लिखकर यह शिकायत करता है कि उसकी फ सल कारण से खराब हो गई है कि अधिसूचित किस्म का जो बीज सप्लाई किया गया था वह घटिया किस्म का था, तो बीज निरीक्षक शिकायत करने वाले से प्रयोग में लाए गए बीज के बैच या लेबलों, बीजों के थैलों और ऐसे बीज के बचे हुए अधिक से अधिक नमूनों को अपने कब्जे में ले लेगा ताकि यह सबूत मिल सके कि इन बीजों की सप्लाई कहाँ से हुई थी। बीज निरीक्षक बीज परीक्षण प्रयोगशाला में विस्तृत विश्लेषण के लिए लाट के नमूने बीज विश्लेषक के पास भेजकर शिकायत कर्ता की फसल नष्ट होने के कारणों का पता लगाएगा। उसके पश्चात वह इस सम्बन्ध में अपने निष्कर्षो के बारे मेंश्रम प्राधिकारी को यथाशीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(2) यदि बीज निरीक्षक इस निष्कर्ष पर पहुचता है कि किसान को जो बीज सप्लाई किया गया था वह केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम स्टैन्डर्ड से घटिया किस्म का था और इसी कारण से किसान की फसल नष्ट हुई है, तो इन नियमों के उपबन्धों के उल्लंघन के लिए सप्लायर के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

THE SEEDS (AMENDMENT) RULES, 1974

Government of India
Ministry of Agriculture
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE)

No. 7-15/74-SD

New Delhi, dated the 29th April, 1975

NOTIFICATION

GSR 211 (E). – In exercise of the power conferred by section 25 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government hereby makes the following rules further to amend to Seeds Rules 1968, namely:-

1. These rules may be called the Seeds (Amendment) Rules, 1974.

2. After rule 23 of the said rules, the following rule shall be inserted namely:-

"23-A. Action to be taken by the Seed Inspector if a complaint is lodged with him:-

(1) If farmer has lodged a complaint in writing that the failure of the crop is due to the defective quality of seeds of any notified kind or variety supplied to him, the Seed Inspector shall take in his possession the marks or labels, the seed containers and a sample of unused seeds to the extent possible from the complaint for establishing the source of supply of seeds and shall investigate the causes of the failure of his crop by sending samples of the lot to the Seed Analyst for detailed analysis at the State Seed Testing Laboratory. He shall thereupon submit the report of his findings as soon as possible to the competent authority.

(2) In case, the Seed Inspector comes to the conclusion that the failure of the crop is due to the quality of seeds supplied to the farmer being less than the minimum standards notified by the Central Government, launch proceedings against the supplier for contravention of the provisions of the Act or these Rules."

Sd/-

(Anna R. George)

Joint Secretary to the Govt. of India

बीज नियम, 1968

(राजपत्र में तारीख 2 सितम्बर, 1968 को अंग्रेजी में यथा प्रकाशित)

ला.का.नि. 1632 - बीज अधिनियम 1966 (1966 का 54) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात -

भाग- 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम : ये नियम बीज नियम, 1968 कहे जा सकेंगे।

2. परिभाषाएं : इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) ''अधिनियम'' से बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) अभिप्रेत है;

(ख) ''विज्ञापन'' से लेबल पर के रूपणों से भिन्न वे सभी रूपण अभिप्रेत है जो अधिनियम के प्रयोजनों के लिए बीज के सम्बन्ध में किसी रीति में या किसी साधन से प्रचारित किए गए हों;

(ग) ''प्रमाणन'' नमूना से अधिनियम की धारा 8 के अधीन स्थापित या धारा 18 के अधीन मान्यता प्राप्त प्रमाणन अभिकरण द्वारा लिया गया, बीज का नमूना अभिप्रेत है;

(घ) ''प्रमाणन टैग '' से प्रमाणन अभिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली निश्चित डिजाइन का टैग या लेबल अभिप्रेत हे और प्रमाणन अभिकरण द्वारा प्रमाणपत्र के रूप में होगा;

(ड़) ''प्रमाणित बीज'' से वह बीज अभिप्रेत है जो अधिनियम या इन नियमों द्वारा प्रमाणन के लिए उपबन्धित सभी अपेक्षाओं को पूरा करता हो और जिसके आधार पर प्रमाणन टैग लगा हो;

(च) ''प्रमाणित बीज उत्पादक'' से वह शक्ति अभिप्रेत है जो प्रमाणन अभिकरण की प्रक्रिया और मानकों के अनुसार प्रमाणित बीज को उगाए या वितरित करे ;

(छ) ''पूर्ण अभिलेख'' से, विक्रय के लिए प्रातिस्थापित, बेचे गए या अन्य आपूर्ति किए गए किसी अधिसूचित किस्म या उपकिस्म के बीज उद्गम,

उपकिस्म, किस्म अंकुरण और शुद्धता की बावत जानकारी अभिप्रेत है ;

(ज) ''प्रारूप ''से इन नियमों से उपाबद्ध कोई अभिप्रेत है;

(झ) ''उद्गम'' से वह राज्य, संघ राज्य क्षेत्र या विदेश अभिप्रेत है, जहांबीज उगाया गया हो और उस दशा में, जहांविभिन्न उद्गम के बीज मिला दिए गये हों, वहांलेबल प्रत्येक उद्गम के बीज की प्रतिशतता प्रदर्शित करेगा;

(ण) ''प्रसंस्करण'' से सफाई, सुखाना, संप्रयोग, वर्गीकरण और ऐसी अन्य संक्रियाएं अभिप्रेत है जो बीज की शुद्धता और अंकुरण को बदल डालेगी और इस प्रकार बीज की क्वालिटी के अवधारण के लिए पुन: परीक्षण कीअपेक्षा होगी किन्तु इसके अन्तर्गत पैकेज बनाने और लेबल लगाने जैसी संक्रियाएं नहीं आती;

(ट) ''धारा'' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(ठ) ''सर्विस नमूना'' से केन्द्रीय बीज प्रयोगशाला या राजकीय बीज प्रयोगशाला को परीक्षण के लिए दिया गया नमूना अभिप्रेत है जिसके परिणामों को बीजन, विक्रय या लेबल लगाने के प्रयोजनों के लिए जानकारी के रूप में उपयोग किया जाएगा;

(ड.) ''अभिक्रियाकृत'' से, कतिपय रोगाणुओं, कीटों या ऐसे अन्य नाशिकीटों को जो बीजों या उनसे उगने वाले पौधों पर आक्रमण करते है, कम, नियंत्रित या निवारित करने और अन्य प्रयोजनों के लिए बीजोंका किसी रीति से प्रसंस्करण या उन पर किसी पदार्थ का प्रयोग अभिप्रेत है।

भाग - 2

केन्द्रीय बीज समिति

3. केन्द्रीय बीज समिति के कृत्य: अधिनियम द्वारा समिति को सौंपे गए कृत्यों के अतिरिक्त, समिति-

(क) केन्द्रीय और राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा नमूनों के विश्लेषण के लिए और प्रमाणन के लिए ली जाने वाली फीसोंकी दर की सिफारिश करेगी;

(ख) बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं के यथोचित की बाबत केन्द्रीय या राज्य सरकारों को सलाह देगी;

(ग) केन्द्रीय सरकार को अपनी सिफ ारिशों और अन्य सम्बंधित अभिलेख भेजेगी;

(घ) बीजों के प्रमाणन, परीक्षण और विश्लेषण के लिए प्रक्रिया और मानकों की सिफारिश करेगी, और

(ड.) ऐसे अन्य कृत्यों का, जो अधिनियम या इन नियमों द्वारा प्रदत्त किन्हीं कृत्यों के अनुपूरक, आनुषंगिक या पारिणामिक हों, पालन करेगी।

4. समिति और उसकी उपसमितियों के सदस्यों को संदेय यात्रा और दैनिक भत्ते :

समिति और उसकी उपसमितियों के सदस्य, जब कि उन्हें समिति या उसकी उपसमिति के अधिवेशन में हाजिर होने के लिए बुलाया जाए, ऐसे यात्रा एवं दैनिक भत्ते लेने के हकदार होंगे जैसे कि नीचे विनिर्दिष्ट है :

(क) समिति या उसकी उपसमिति का शासकीय सदस्य उस सरकार के, जिसके अधीन वह तत्समय नियोजित है, नियमों के अनुसार और उसी स्रोत से जिससे कि उसका वेतन और भत्ते लिए जाते हों, यात्रा एवं दैनिक भत्ते लेने का हकदार होगा।

(ख) अशासकीय सदस्य को केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त दिए गए साधारण आदेशों के अनुसार यात्रा एवं दैनिक भत्ते अनुज्ञात किए जाएंगे।

भाग-3

केन्द्रीय बीज प्रयोगशाला

5. कृत्य : अधिनियम द्वारा केन्द्रीय बीज प्रयोगशाला को सौंपे गए कृत्यों के अतिरिक्त, प्रयोगशाला निम्नलिखित कृत्य करेगी, अर्थात् -

(क) भारत की सभी बीज प्रयोगशालाओं के परीक्षण के बीच एकरूपता लाने के लिए राज्य बीज प्रयोगशालों के सहयोग से परीक्षण कार्यक्रमों को शुरू करना;

(ख) बाजार में प्राप्त बीजों की क्वालिटी के संबंध में लगातार आंकड़े संगृहीत करना और इन आंकड़ों को समिति को उपलबध करना; और

(ग) ऐसे अन्य कृत्य करना जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे समनुदिष्ट किए जाएं।

भाग - 4

बीज प्रमाणन अभिकरण

6. प्रमाणन अभिकरण के कृत्य : अधिनियम द्वारा प्रमाणन अभिकरण को न्यस्त कृत्यों के अतिरिक्त, अभिकरण -

(क) किन्हीं अधिसूचित किस्मों या उपकिस्मों के बीजों को प्रमाणित करेगा;

(ख) आवेदन देने की प्रक्रिया की और प्रमाणन के लिए आशयित बीजों के उगाने, काटने, प्रसंस्कृत करने, संगृहीत करने और उन पर लेबल लगाने की अन्त तक की प्रक्रिया की रूपरेखा, इस बाबत आश्वस्त होने के लिए बनाएगा कि अन्तिम रूप से प्रमाणन के लिए अनुमोदित बीजों के लाट सही उपकिस्म के हैं और अधिनियम या इन नियमों के अधीन प्रमाणन के लिए विहित स्तंरों के हैं;

(ग) बीजों के मान्यताप्राप्त प्रजनकोंकी सूची रखेगा;

(घ) प्रमाणन के लिए आवेदन की प्राप्ति पर यह सत्यापित करेगा कि उपकिस्म प्रमाणन का पत्र है, कि रोपण के लिए उपयोग में लाया गया बीज-स्त्रोत अधिप्रमाणीकृत था और क्रय का अभिलेख इन नियमों के अनुसार है तथा फीस संदत्त कर दी गई है;

(ड.) नमूना लेगा और प्रमाणन अभिकरण द्वारा अधिकथित प्रक्रियाओं के अधीन उत्पादित बीज-लाटों का निरीक्षण करेगा और ऐसे नमूनों का परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए कराएगा कि बीज प्रमाणन के विहित मानकों के अनुरूप है;

(च) बीज प्रसंस्कण संयंत्रों का यह देखने के लिए निरीक्षण करेगा कि कहीं अन्य किस्मों और उपकिस्मों के नियमों का प्रयोग तो नहीं है;

(च) बीज प्रसंस्कण संयंत्रों का यह देखने के लिए निरीक्षण करेगा कि कहीं अन्य किस्मों और उपकिस्मों के नियमों का प्रयोग तो नहीं है;

(छ) यह सुनिश्ति करेगा कि सभी प्रक्रमों में उदाहरणार्थ खेतों का निरीक्षण, बीज प्रसंस्करण संयंत्र का निरीक्षण, लिए गए नमूनों का विश्लेषण और प्रमाण-पत्रों (जिनके अन्तर्गत टैग, चिन्ह, लेबल और मुद्रायें आती हैं) के दिए जाने में कार्यवाही शीघ्र की जाए;

(ज) प्रमाणित बीज के उपयोग की अभिवृद्धि करने के लिए बनाए गए शैक्षिणिक कार्यक्रमों को, जिसमें प्रमाणित बीज उगाने वालों और प्रमाणित बीज के स्रोतों की सूची का प्रकाशन भी आता है, कार्यान्वित करेगा;

(झ) अधिनियम और इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार प्रमाणपत्र (जिसके अन्तर्गत टैग, लेबल, मुद्रा आदि है) देगा;

(ञ) ऐसे अभिलेख रखेगा जो यह सत्यापित करने के लिए आवश्यक हो कि प्रमाणित बीज के उत्पादन के लिए बीज पादप इन नियमों के अधीन ऐसे रोपण के योग्य थे;

(ट) यह सुनिश्चित करने के लिए खेतों का निरीक्षण करेगा कि विलगन, आवांछित पौधों के निष्कासन (जहां लागू हो), नर बांझपन के उपयोग (जहां लागू हो) और समान बातोंके लिए न्यूनतम मान सभी समय बनाए रखे जाते हैं और यह भी सुनिश्चित करेगा कि खेत में बीजोढ रोग उस विस्तार से अधिक विस्तार में मौजूद नहीं जो प्रमाणन के लिए मानकों में उपबंधित है।

भाग – 5

चिन्ह या लेबल लगाना

7. **चिन्ह या लेबल लगाने का उत्तरदायित्व** : जब धारा 7 के अधीन किसी अधिसूचित किस्म या उपकिस्म का बीज विक्रय के लिए प्रस्तथापित किया जाए तो प्रत्येक आधान पर इसमें इसके पश्चात विनिर्दिष्ट रीति में चिन्ह या लेबल लगाया जायेगा। वह व्यक्ति, जिसका नाम चिन्ह या लेबल पर वर्णित हो, चिन्ह या लेबल पर वर्णित किए जाने के लिए अपेक्षित जानकारी की यथार्थता के लिए तब तक उत्तदायी रहेगा जब तक कि बीज असल बन्द आधान में रखा रहे।

परन्तु ऐसा व्यक्ति, चिन्ह या लेबल पर वर्णित कथन की यथार्थता के लिए, उत्तदायी नहीं होगा यदि बीज असल बन्द आधान से निकाल लिया गया हो, अथवा चिन्ह या लेबल पर उपदर्शित अंकुरण कथन की यथार्थता के लिए विधिमान्यता की तारीख के पश्चात् वह उत्तरदायी नहीं रहेगा।

8. चिन्ह या लेबल की विषय वस्तु : हर चिन्ह या लेबल पर निम्नलिखित विनिर्दिष्ट किए जाएंगे-

(i) अधिनियम की धारा 6 के खण्ड (ख) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा यथानिवनिर्दिष्ट विशिष्टियां,

(ii) अन्तर्वस्तु की पूरी तौल का मीट्रिक प्रणाली में शुद्ध विवरण,

(iii) परीक्षण की तारीख

(iv) यदि आधान का बीज अभिक्रियाकृत हो, तो

(क) यह उपदर्शित करने वाला कथन कि बीज अभिक्रियाकृत है;

(ख) सामान्य: अभिस्वीकृत रसायन या अनुप्रयुक्त पदार्थ रासायनिक (प्रजातीय) संक्षित नाम; और

(ग) यदि अभिक्रिया के लिए उपयोग में लाए गए और बीज के साथ उपस्थित रासायनिक द्रव्य मनुष्यों और अन्य कशेरूकी जीव जन्तुओं के लिए हानिकारक है तो एक चेतावनी देने वाला कथन, जैसे कि ''खाद्य, चारा या तेल

के प्रयोजनों के लिए मत प्रयोग कीजिए''। पारद और समरूप विषाक्त द्रव्योंके लिए चेतावनी शब्द ''विष'' होगा जो कि लेबल पर लाल रंग में टाइप आकार में स्पष्टतया संप्रदर्शित किया जाएगा;

(v) उस व्यक्ति का नाम और पता जो बीज बेचने की प्रस्थापना करता है, उसका विक्रय करता है या उसका अन्यथा संदाय करता है और जो उसकी क्वालिटी के लिए उत्तरदायी है;

(vi) अधिनियम की धारा 5 के अधीन यथा अधिसूचित बीज का नाम।

9. धारा 7 के खण्ड (ग) और धारा 17 के खण्ड (ख) के अधीन आधान पर चिन्ह और लेबल लगाने की रीति:

(1) धारा 6 के खण्ड (ख) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट बीज की विशिष्टियों से युक्त चिन्ह या लेबल बीज के प्रत्येक आधान पर या उस आधान के, जिसमें बीज पैक किया गया हो, अन्तर्तम पर, सहजदृश्य स्थान पर आधान के संलग्न टैग या चिन्ह या लेबल पर और हर अन्य आवेष्टक पर जिनमें वह आधान पैक किया गया हो, वर्णित होगा और पढ़े जा सकने योग्य होगा।

(2) किसी पारदर्शी आवेष्टक, केस या अन्य आवरक पर जो केवल पैकिंग, परिवहन या परिदान के लिए उपयोग में लाया जाए, चिन्ह या लेबल लगाना आवश्यक नहीं है।

(3) जहाँ कि इन नियमों के किसी उपबन्ध द्वारा आधान के लेबल में किन्हीं विशिष्टियों का संप्रदर्शित किया जाना अपेक्षित हो वहां ऐसी विशिष्टियां लेबल में संप्रदर्शित किए जाने के बजाय आधान पर अंकित, चिन्हित या अन्यथा अमिट रूप में चिन्हित की जा सकेगी।

10. चिन्ह या लेबल में मिथ्या या भ्रामक कथन नहीं होंगे : चिन्ह या लेबल में ऐसा कोई कथन, दावा, डिजाइन, काल्पनिक नाम या संक्षेपाक्षर नहीं होगा जो आधान में रखे हुए बीज से संबंद्ध किसी विशिष्टि की बाबत मिथ्या या भ्रामक हो।

11. चिन्ह या लेबल में अधिनियम या इन नियमों के ऐसे निर्देश नहीं होंगे जो अपेक्षित विशिष्टियों से असंगत हों : चिन्ह अथवा लेबल में अधिनियम या इन नियमों में से किसी का कोई निर्देश या अधिनियम या इन नियमों में से किसी के द्वारा अपेक्षित किन्ही विविष्टियों या घोषणा पर कोई टीकाटिप्पणी, या उसके प्रति कोई निर्देश, या स्पष्टीकारण नहीं होना जो प्रत्यक्षत: या विवक्षित रूप से ऐसी विविष्टियों या घोषणा को, खण्डित, शर्तबद्ध या उपान्तरित करता हो।

12. चिन्ह या लेबल की विषय वस्तु के लिए उत्तरदायित्व से इंकार : किसी अधिसूचित किस्म या उपकिस्म के किसी बीज से सम्बन्धित चिन्ह या लेबल या किसी विज्ञापन में ऐसी कोई बात वार्णित नहीं होगी जो अधिनियम द्वारा उसके अधीन अपेक्षित ऐसे चिन्ह, लेबल या विज्ञापन पर वर्णित कथन के लिए उत्तरदायित्व के प्रति इन्कार हो।

भाग -6

अपेक्षाएँ

13. धारा 7 में निदिष्ट कारोबार चलाने वाले व्यक्ति द्वारा अनुपालन की जाने वाली अपेक्षाए:

(1) कोई भी व्यक्ति किसी अधिसूचित किस्म या उपकिस्म का कोई बीज उस तारीख के पश्चात् न बेचेगा, न विक्रय के लिए रखेगा, न उसका वस्तु-विनिमय करेगा, और न उसका अन्यथा संदाय करेगा जो चिन्ह या लेबल पर उस तारीख के रूप में अभिलिखित है, जिस तक बीज की बाबत यह प्रत्याशा की जा सकती कि उसमें अधिनियम की धारा 6 के खण्ड (क) के अधीन अंकुरण से अन्यून अंकुरण बना रहेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी बीज के आधान से संलग्न किसी चिन्ह या लेबल को न परिवर्तित करेगा, न मिटाएगा, और न विरूपित करेगा।

(3) किसी अधिसूचित किस्म या उपकिस्म के किसी बीज को धारा 7 के अधीन बेचने वाला, विक्रय के लिए रखने वाला, बेचने की प्रस्थापना करने वाला, उसका वस्तु-विनिमय करने वाला या अन्यथा संदाय करने वाला हर व्यक्ति बेचे गए बीज के प्रत्येक लाट का पूर्ण अभिलेख तीन वर्ष की कालावधि तक रखेगा किन्तु बीज का कोई नमूना, ऐसे नमूने द्वारा रूपित संपूर्ण लाट के व्ययनित कर दिये जाने के एक वर्ष पश्चात् व्ययनित किया जा सकता है। पूर्ण अभिलेख के भाग के रूप में रखा गया बीज का नमूना उतने बड़े आकार का होगा जो राजपत्र में अधिसूचित हो। यह नमूना, यदि परीक्षण अपेक्षित हो तो, केवल शुद्धता अवधारिता करने के लिए परीक्षित किया जाएगा।

14. **प्रमाणित बीज के वर्ग और स्रोत** : (1) प्रमाणित बीज के तीन वर्ग होगें, अर्थात, बुनियादी, रजिस्ट्रीकृ त और प्रमाणित तथा प्रत्येक वर्ग उस वर्ग के निम्नलिखित मानकों को पूरा करेगा-

(क) बुनियादी बीज प्रजनक के बीज की संतति होगा या बुनियादी बीज से उत्पादित किया जाएगा जिसका सिलसिला प्रजनक के बीज से स्पष्टत: जोड़ा जा

सके। उसका किसी बीज प्रमाणन अभिकरण द्वारा सर्वेक्षित और अनुमोदित किया जाएगा और उसकी देखभाल इस प्रकार से की जाएगी जिससे कि विशिष्ट आनुवांशिक शुद्धता और अनन्यता बनी रहे और यह अपेक्षा की जाएगी कि वह फसल के प्रमाणित किए जाने के लिए प्रमाणन मानकों को पूरा करे;

(ख) रजिस्ट्रीकृत बीज बुनियादी बीज की संतति होगा और उसकी देखभाल इस प्रकार की जाएगी जिससे कि किसी विशिष्ट फसल को प्रमाणित किए जाने के लिए विनिर्दिष्ट मानक के अनुसार आनुवांशिक अनन्यता और शुद्धता बनी रहे;

(ग) प्रमाणित बीज रजिस्ट्रीकृ त या बुनियादी बीज की संतति होगा जिसकी देखभाल इस प्रकार से की जाएगी जिससे कि किसी विशिष्ट फ सल को प्रमाणित किए जाने के लिए विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार आनुवांशिक अनन्यता और शुद्धता बनी रहे।

(2) प्रमाणन के अभिकरण विवेक पर (जब पर्याप्त बीज पूर्ति रखने के लिए आवश्यक समझा जाए) प्रमाणित बीज, प्रमाणित बीज की संतति हो सकेगा परन्तु यह तब जब पुनरूत्पादन तीन पीढ़ियों से अधिक नहीं हो, तथा यह और कि बीज प्रमाणन अभिकरण द्वारा वह अवधारित किया गया हो कि आनुवांशिक शुद्धता में व्यंजक परिवर्तन नहीं होगा।

भाग-7

बीजों का प्रमाणन

15. **प्रमाणपत्र के अनुदान के लिए आवेदन:** धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन प्रमाणपत्र के अनुदान के लिए हर आवेदन, प्रमाणन अभिकरण द्वारा आवेदन देने के लिए वर्णित प्रक्रिया के अनुसार, प्रारूप 1 में किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित विशिष्टियांहोंगी, अर्थात्-

(क) आवेदक का नाम, वृत्ति और निवास-स्थान;

(ख) प्रमाणित किये जाने वाले बीज का नाम, उसकी अधिसूचित किस्म, या उपकिस्म;

(ग) बीज का वर्ग;

(घ) बीज का स्रोत;

(ड.) बीज के अंकुरण और शुद्धता की सीमाएँ;

(च) बीज का चिन्ह या केबल;

16. **फीस:** धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन हर आवेदन 25 रूपये नकद फीस के साथ करना होगा।

17. **प्रमाण-पत्र** : धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन अनुदत्त हर प्रमाण-पत्र प्रारूप 2 में होगा और उक्त उपधारा उपबन्धों के अनुसार प्रमाणन अभिकरण द्वारा जांच करने के और अपना समाधान हो जाने के पश्चात् निम्नलिखित शर्तो पर प्रमाणन अभिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली कालावधि के लिए, अनुदत्त किया जाएगा, अर्थात्-

(1) वह व्यक्ति जिसे धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन प्रमाणपत्र अनुदत्त किया जाता है, प्रमाणित बीज के हर आधान पर प्रमाणन टैग संलग्न करेगा और चिन्ह लगाने या लेबल लगाने के बारे में अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उपबन्धित उपबन्धों का अनुसरण करेगा;

(2) प्रमाणन टैग में निम्नलिखित विशिष्टियां होगी, अर्थात्-

(क) प्रमाणन अभिकरण का नाम और पता;

(ख) बीज की किस्म और उपकिस्म;

(ग) बीज का लाट संख्यांक या अन्य चिन्ह;

(घ) प्रमाणित बीज उत्पादक का नाम और पता;

(ड) प्रमाणपत्र के दिए जाने की और वह कब तक विधिमान्य रहेगा इसकी तारीख;

(च) प्रमाणित बीज को अभिहित करने के लिए एक समुचित संकेत :

(छ) बीज के वर्ग अभिहित का द्योतक कोई समुचित शब्द;

(3) प्रमाणन टैग का रंग बुनियादी बीज के लिए श्वेत, रजिस्ट्रीकृत बीज लिए बैंजनी और प्रमाणित बीज के लिए नीला होगा;

(4) प्रमाणित बीज के आधान पर ऐसी वस्तु की ओर ऐसे प्रारूप में जैसा कि प्रमाणन अभिकरण अवधारित करे मुद्रा होगी और प्रमाणन टैग लगा कोई आधान किसी व्यक्ति द्वारा बेचा नहीं जाएगा यदि टैग या मुद्रा में गड़बड़ कर दी गई हो या उसे हटा दिया गया हो;

(5) आधान का प्रमाणन टैग निम्नलिखित विनिर्दिष्ट करेगा-

(क) वह कालावधि जिसके दौरान बीज बोने या रोपण के उपयोग में लाया जाएगा;

(ख) विधिमान्यता की वह कालावधि जिसके अवसान के पश्चात् किसी व्यक्ति द्वारा बीज का उपयोग पूर्णत: उसी के जोखिम पर होगा और प्रमाणपत्र का धारक बीज के क्रेता को किसी नुकसान के लिए उत्तदायी नहीं होगा;

(ग) यह कि यदि मुद्रा या प्रमाणन टैग में गड़बड़ की गई हो तो किसी को उस बीज को क्रय नहीं करना चाहिए;

(6) प्रमाणन का धारक बीज के उस प्रत्येक लाट के, जो विक्रय के लिए जारी किया जाए, विवरण का अभिलेख ऐसे प्रारूप में रखेगा जिससे कि वह निरीक्षण के लिए प्राप्य हो, सके और प्रत्येक आधान के प्रमाणन टैग में दर्शित लाट संख्यांक के प्रति निर्देश से सुगमता से पहचाना जा सके तथा ऐसे अभिलेख उस बीज की दशा में, जिसके लिए अवसान तारीख नियत की गई है, ऐसी तारीख के अवसान से दो वर्ष की कलावधि के लिए प्रतिधारित किये जाएंगे;

(7) प्रमाणपत्र का धारक, प्रमाणन अभिकरण द्वारा इस निमित्त लिखित रूप में प्राधिकृत बीज निरीक्षक को किन्हींपरिसरों में जहांबीज उगाए, प्रसंस्कृत किए और बेचे जाते हों पूर्व सूचना से या उसके बिना प्रवेश करने देगा और परिसरों, संयंत्र और संस्करण की प्रक्रिया का किसी भी उचित समय निरीक्षण करने देगा;

(8) प्रमाणपत्र का धारक, प्रमाणन अभिकरण द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किसी भी बीज निरीक्षक को इन नियमों के अधीन रखे गए सभी रजिस्टरों और अभिलेखों का निरीक्षण करने देगा और बीजों के नमूने लेने देगा तथा बीज निरीक्षक को ऐसी जानकारी देगा जिसकी वह यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजन से अपेक्षा करे कि उन शर्तों का जिनके, अध्यधीन प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है, अनुपालन किया गया है या नहीं;

(9) प्रमाणपत्र का धारक, निवेदन किए जाने पर, बीज की हर लाट में से या ऐसे लाट या लाटों में से जो उक्त अभिकरण समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, उतने परिमाण का नमूना जितना किसी अपेक्षित परीक्षण के लिए अभिकरण पर्याप्त समझे, प्रमाणन अभिकरण को देगा;

(10) यदि प्रमाणन अभिकरण ऐसा निर्देश दे, तो प्रमाणपत्र का धारक किसी लाट को, जिसके बारे में पूर्ववर्ती खण्ड के अधीन नमूना दिया गया है, जब तक कि अभिकरण ऐसे लाट का विक्रय प्राधिकृत न कर दे, न बेचेगा और न बेचने के लिए प्रस्थापित करेगा;

(11) प्रमाणपत्र का धारक, प्रमाणन अभिकरण द्वारा यह निर्देश दिए जाने पर कि उक्त अभिकरण ने लाट को कोई भाग अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विनिर्दिष्ट क्वालिटी या शुद्धता के विहिता मानकों के अनुरूप नहीं पाया है, उस लाट के अवशिष्ट को विक्रय से वापस ले लेगा और मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में, यावत्साध्य उस लाट में से पहले की गई सभी निकासियों को वापस ले लेगा;

(12) प्रमाणपत्र का धारक अधिनियम और इन नियमों के उपबन्धों का और प्रमाणन अभिकरण द्वारा ऐसे धारक को एक महीने से अन्यून की सूचना देने के पश्चात् दिए गए निर्देशों का अनुपालन करेगा।

भाग -8

अपील

18. **वह प्रारूप और रीति जिसमें और वह फीस जिसका संदाय करने पर अपील की जा सकेगी:** (1) धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन अपील का हर ज्ञापन लिखित रूप में होगा और उसके साथ प्रमाणन अभिकरण के विनिश्चिय की, जिसके खिलाफ वह (अपील) की गई हो, एक प्रतिलिपि होगी और उसमें ऐसे विनिश्चय के प्रति आक्षेपों के आधार पर संक्षिप्त रूप में और सुभिन्न शीर्षो के नीचे किसी तर्क या वृत्तान्त के बिना उपवर्णित किए जाएंगे।

(2) अपील के हर ऐसे ज्ञापन के साथ एक सौ रूपये की राशि की खजान रसीद होगी।

(3) अपील का हर ऐसा ज्ञापन अपीलार्थी द्वारा स्वयंया उसके द्वारा इस निमित्त लिखित रूप में सम्यक् रूपेण प्राधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित किया जा सकेगा या रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजा जा सकेगा।

19. **अपील प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया:** अधिनियम के अधीन अपीलों का विनिश्चिय करने में अपील प्राधिकारी उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो न्यायालय को होती है और उन्हीं प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगा जिसका अनुसरण कोई न्यायालय को होती है और उन्हीं प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगा जिसका अनुसरण कोई न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी आरम्भिक न्यायालय की डिग्री या आदेश के विरूद्ध अपीलों का विनिश्चय करने में करता है।

भाग -9

बीज विश्लेषण और बीज निरीक्षक

20. **बीज विश्लेषण की अर्हताएँ :** कोई व्यक्ति बीज विश्लेषक के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि-

(1) वह सरकार द्वारा प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का कृषि या सस्य-विज्ञान या वनस्पति-विज्ञान या उद्यान-विज्ञान का अधिस्नातक न हो या उसके समतुल्य डिग्री प्राप्त किए हुए न हो तथा उसे बीज औद्योगिकी में एक वर्ष से अन्यून का अनुभव न हो; या

(2) वह सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का कृषि या वनस्पति विज्ञान का स्नातक न हो और उसे बीज औद्योगिकी में तीन वर्ष से अन्यून का अनुभव न हो।

21. **बीज विश्लेषक के कर्तव्य** : (1) विश्लेषण के लिए नमूने की प्राप्ति पर बीज विश्लेषक पहले यह अभिनिश्चित करेगा कि धारा 15 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में यथा उपबन्धित चिन्ह और मुद्रा या बन्धन अविकल है और उस पर लगी मुद्राओं की दशा को नोट करेगा।

(2) बीज विश्लेषक, अधिनियम और इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार नमूनों का विश्लेषण करेगा।

(3) बीज विश्लेषक, विश्लेषण के परिणाम की रिपोर्ट की प्रति धारा 16 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को परिदत्त करेगा।

(4) बीज विश्लेषण राज्य सरकार को समय-समय पर रिपोर्ट भेजेगा जिनमें उसके द्वारा दिए गए विश्लेषण कार्य के परिणाम दिए होंगे।

22. **बीज निरीक्षकों की अर्हताएँ** : कोई व्यक्ति बीज निरीक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का कृषि स्नातक न हो और बीज उत्पादन या बीज विकास में या किसी बीज परीक्षण प्रयोगशाला में बीज विश्लेषण या परीक्षण में एक वर्ष से अन्यन का अनुभव न रखता हो।

23. **बीज निरीक्षक के कर्तव्य** : अधिनियम द्वारा विनिर्दिष्ट कर्तव्यों के अतिरिक्त बीज निरीक्षक- (क) किसी अधिसूचित किस्म या उपकिस्म के किसी बीज के उगने,भण्डारकरण या विक्रय के लिए उपयोग में लाये जाने वाले सभी स्थानो का निरीक्षण उतनी बार करेगा जितनी बार प्रमाणन अभिकरण अपेक्षा करे;

(ख) अपना यह समाधान करेगा कि प्रमाणपत्रों की शर्तो का अनुपालन किया जा रहा है;

(ग) उन बीजों, के जिनके बारे में उसे यह संदेह करने का कारण हो कि वे अधिनियम या इस नियमों के उपबन्धों के उल्लंघन में उत्पादित, भण्डार-कृत या विक्रय या विक्रय के लिए प्रदर्शित किए जा रहे हैं नमूनों को, यदि आवश्यक हो विश्लेषण के लिए लेगा, और भेजेगा;

(घ) ऐसी किसी शिकायत का, जो कि उसे अधिनियम या इन नियमों के उपबन्धों के किसी उल्लंघन के बारे में लिखित रूप में की जाए, अन्वेषण करेगा;

(ड.) अपने कर्तव्यों के पालन में, जिनमें नमूनों का लेना और स्टाकों का अभिग्रहण

भी है, अपने द्वारा किए गए सभी निरीक्षणों और की गई सभी कार्यवाहियों का अभिलेख रखेगा और ऐसे अभिलेख को कृषि के निदेशक को या प्रमाणन अभिकरण को, जैसा कि इस निमित्त निर्दिष्ट किया जाए, भेजेगा;

(च) राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर, उन आयातित आधानों को रोक लेगा जिनके बारे में उसे यह संदेह करने का कारण हो कि उनमें ऐसे बीज रखे है जिनका आयात, अधिनियम और इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार किए जाने के सिवाए प्रतिषिद्ध है;

(छ) अधिनियम और इन नियमों के भंग के बारे में अभियोजन संस्थित करेगा;

(ज) ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो किसक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे सिवाए प्रतिषिद्ध है;

भाग-10

नमूनों का मुद्राबन्द किया जाना, बांधना, प्रेषण और विश्लेषण

24. **नमूने लेने की रीति**: किसी अधिसूचित किस्म या उपकिस्म के किसी बीज के विश्लेषण के प्रयोजनार्थ नमूने स्वच्छ सूखे आधान में लिए जाएंगे जो क्षरण और नमी के प्रवेश को निवारित करने के लिए पर्याप्त रूप से कस कर बन्द किया जाएगा और सावधानीपूर्वक मुद्राबन्द किया जायेगा।

25. **आधानों पर लेबल लगाया जाना और पता लिखा जाना** : सभी आधानों जिनमें विश्लेषणार्थ नमूने हों, उचित रूप से लेबल लगाए जाएंगे और पार्सलों पर उचित रूप से पते लिखे जाएंगे। विश्लेषण के लिए भेजे गए बीज के नमूने के लेबल पर-

(क) क्रम संख्यांक;

(ख) प्रेषक का नाम, शासकीय पदनाम सहित, यदि कोई हो;

(ग) उस व्यक्ति का नाम जिससे नमूना लिया गया है;

(घ) नमूना लेने की तारीख और स्थान;

(ड.) विश्लेषण के लिए भेजे जा रहे बीज की किस्म और उपकिस्म;

(च) नमूने के साथ मिलाए गए परिरक्षक की, यदि कोई हो, प्रकृति और मात्रा; दी हुई होगी।

26. **नमूनों को पैक करने, बांधने और मुद्राबन्द करने की रीति** : विश्लेषण के लिए भेजे गए बीजों के सभी नमूने निम्नलिखित रीति में पैक किए जाएंगे, बांधे जाएंगे और मुद्रा बन्द किए जाएंगे :

(क) पहले डाट को सुरक्षित रूप से लगाया जाएगा जिससे कि अभिवहन

में आधानों का क्षरण विनारित हो सके।

(ख) तब आधान को कॉफी मजबूत मोटे कागज में पूरी तौर से लपेटा जाएगा। कागज के कोने सुधरे रूप से मोड़े जाएंगे और गोंद या अन्य आसंजक से चिपकाए जाएंगे।

(ग) कागज के आवेष्टक को मजबूत डोरी या धागे से आधान के ऊपर और बगल में और सुरक्षित किया जाएगा और तब डोरी या धागे को कागज के आवेष्टक पर मुद्रा लाख के जरिए बांधा जाएगा जिस पर भेजने वाले की मुद्रा की कम से कम चार सुभिन्न और स्पष्ट छापे होंगे जिनमें से एक पैकेट के सबसे ऊपर, एक पैदी में और दो पैकेट के बीच वाले हिस्से पर होंगी। डोरी या धागे की गांठों को मुद्रा लाख के जरिए ढक दिया जाएगा जिस पर भेजने वाले की मुद्रा की छाप होगी।

27. **आदेश का प्रारूप** : बीज निरीक्षक द्वारा धारा 14 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन लिखित रूप में दिया जाने वाला आदेश प्रारूप 3 में होगा।

28. **अभिलेखों के लिए रसीद का प्रारूप** : जब बीज निरीक्षक धारा 14 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन किसी अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज या अन्य भौतिक पदार्थ का अभिग्रहण करे तो वह संबंधित व्यक्ति को प्रारूप 4 में रसीद देगा।

29. **नमूने के बीज विश्लेषक को कैसे भेजे जाएंगे** : विश्लेषण के लिए नमूने का आधान बीज विश्लेषक को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या व्यक्ति के माध्यम से मुद्रा-बन्द पैकेट में भेजा जाएगा जिसके साथ एक बाहरी आवरण में बीज विश्लेषक के पते से, प्रारूप 5 में एक ज्ञापन संलग्न होगा।

30. **ज्ञापन और मुद्रा की छाप का पृथक-पृथक भेजा जाना** : बीज विश्लेषक को, ज्ञापन की एक प्रति अैर पैकेट को मुद्रा बन्द करने में प्रयुक्त मुद्रा की छाप का एक नमूना, पृथक-पृथक रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा या उसको या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को परिदत्त किया जाएगा।

31. **नमूने में परिरक्षकों को मिलाया जाना** : अधिनियम के अधीन विश्लेषण के प्रयोजन के लिय बीज का नमूना लेने वाला कोई व्यक्ति नमूने में उस विश्लेषण के लिए यथोचित दशा में बनाए रखने के प्रयोजन से, ऐसा परिक्षक, जैसा कि समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए, मिला सकेगा।

32. **परिरक्षक की प्रकृति और मात्रा का लेबल पर लिखा जाना** : जब कभी कोई परिरक्षक नमूने में मिलाया जाए तो मिलाए गए परिरक्षक की प्रकृति और मात्रा

आधान पर चिपकाए जाने वाले लेबल पर स्पष्टत: लिखी जाएगी।

33. **नमूने का विश्लेषण** : पैकेट की प्राप्ति पर वह या तो बीज विश्लेषक द्वारा या इस निमित्त लिखित रूप में से प्राधिकृति अधिकारी द्वारा खोला जाएगा और वह पैकेट पर लगी मुद्रा की दशा को अभिलिखित करेगा। नमूने का निश्लेषण केन्द्रीय सरकार अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार राज्य बीज प्रयोगशाला में किया जाएगा।

34. **सूचना का प्रारूप** : धारा 15 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उस व्यक्ति को जिससे कि बीज निरीक्षक नमूना लेना चाहता है दी जाने वाली सूचना प्रारूप 6 में होगी।

35. **रिपोर्ट का प्रारूप** : धारा 15 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन विश्लेषण के परिणाम की रिपार्ट प्रारूप 7 में परिदत्त की जाएगी या भेजी जाएगी।

36. **फीस** : धारा 16 की उपधारा (2) के आधीन केन्द्रीय बीज प्रयोगशाला की रिपोर्ट के लिए संदेय फीस विश्लेषित बीज के प्रति नमूने के लिए दस रूपये की होगी।

37. **नमूने के प्रतिधारण** : धारा 15 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन किसी बीज के नमूने को अंकुरण क्षमता की हानि रोकने के लिए ठण्डे शुष्क वातावरण और कीटरोधी या मूसकरोधी आधान प्रादान में प्रतिधारित किया जाएगा। नमूनों को कीटबाधा से बचाने के लिए आधानों में उपयुक्त कीटनाशी बुरक दी जायेगी और भंडार गृह को धूमित किया जायेगा। नमूने को भण्डार में रखने के पहले एक सी आकृति और आकार की अच्छी क्वालिटी के आधानों में पैक किया जायेगा।

भाग - 2

प्रकीर्ण

38. **अभिलेख** : धारा 7 में निर्दिष्ट कारोबार करने वाला व्यक्ति निम्नलिखित अभिलेख रखेगा, अर्थात्-

(क) बीज -स्टाक अभिलेख;

(ख) बीजों के विक्रय का अभिलेख।

39. **ज्ञापन का प्रारूप** : धारा 14 की उपधारा (4) के अधीन तैयार किया जाने वाला ज्ञापन प्रारूप 8 में होगा।

प्रारूप - 1

बीज -प्रमाणन- कार्यक्रम के अधीन बीज उत्पादन के लिए आवेदन का प्रारूप

1. नाम (स्पष्ट अक्षरों में) ----------

2. पूरा पता (स्पष्ट अक्षरों में) ----------

ग्राम ----------

डाकघर ----------

जिला ----------

राज्य ----------

तारघर ----------

निकटतम रेलवे स्टेशन ----------

टेलीफोन संख्या ----------

3. निकटतम नगर आपके ----------
फार्म से उसकी दूरी----------
राजमार्ग संख्या या पथ ----------

4. प्रमाणन के लिए प्रस्तावित बीज की
उपकिस्म/किस्म का नाम ----------

5. प्रमाणन के लिए प्रस्तावित
प्रत्येकउपकिस्म/किस्म के अधीन क्षेत्र----------

6. उत्पादित किये जाने के लिए
वांछित बीज का वर्ग बुनियादी/
राजिस्ट्रीकृत/प्रमाणित ----------

7. उपरोक्त मद 6 के लिए बीज का
स्रोत (टैग सं. और टैग की किन्ही अन्य
विशिष्टियों को भी वर्णित कीजिए) ----------

8. उसी फसल की अन्य उपकिस्मों
से पृथक्करण की दूरी (मीटरों में)
उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम ----------

9. रोपण की वास्तविक या प्रस्तावित
तारीख ----------

हस्ताक्षर

तारीख

(बीज प्रमाणन अभिकरण के कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

1. क्षेत्र निरीक्षणों की संख्या ----------

निरीक्षणों की तारीखें ----------

(निरीक्षण रिपोर्टों की प्रतिलिपि संलग्न की जाए)

2. बीज विश्लेषक की रिपोर्ट (प्रतिलिपि संलग्न की जाए) ----------

3. जारी प्रमाणपत्र टैग सं. ----------

जारी करने की तारीख ----------

किसके द्वारा दिया गया ----------

हस्ताक्षर

निदेशक, बीज प्रमाणन अभिकरण

प्रारूप 2

बीज प्रमाणन अभिकरण ----------

टैग सं. ----------

निदेशक

बीज प्रमाणन अभिकरण

किस्म ----------उपकिस्म ----------

लाट सं. ----------

अंकुरण ---------- % ---------- % से कम नहीं

परीक्षण की तारीख ----------

प्रमाणन ---------- तक विधिमान्य

न्यूनतम शुद्ध बीज ---------- %

निष्क्रिम पदार्थ ---------- % ---------- % से अनधिक

अपतृण बीज (अधि.) ---------- %

अन्य फसलों के बीज ---------- % से अनधिक

उत्पादक (नाम और पूरा पता) ----------

बीज का वर्ग ----------

व्या. दी -

1. बुनियादी बीज के लिए श्वेत टैग का उपयोग किया जाए।

2. रजिस्ट्रीकृत बीज के लिए लिए बैजनी टैग का उपयोग किया जाए।

3. प्रमाणित बीज के लिए नीले टैग का उपयोग किया जाए।

4. यदि बीज ठंडे ओर शुंष्क वातावरण में भंडारकृत किया गया हो तो प्रमाणन टैग पर उपदर्शित कालावधि के लिए विधिमान्य होगा।

प्रारूप 3

प्रेषित,

(विक्रेता का नाम और पता)

अत : मुझे मुझे यह विशवास करने का कारण है कि नीचे दिया गया, आपके पास निम्नलिखित ब्योरे का जो बीज स्टाक है वह बीज अधिनियम 1966, (1966 का 54) की धारा 6 उपबंधों का उल्लंघन करता हैा अत: मैं, बीज अधिनियम 1966, (1966 का 54) की धारा 14 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन आपको एतद्द्वारा निर्देश देता हूँ कि आज ---------- तारीख से -------
की कालावधि पर्यन्त उस स्टाक का व्ययन न किया जाए और निम्नलिखित त्रुटियांदूर की जाए।

स्थान ---------- बीज निरीक्षण

तारीख ---------- क्षेत्र

बीज के स्टाक के ब्योरे

तारीख ---------- बीज निरीक्षक

प्रारूप 4

प्रेषित,

बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 14 की उपधारा (1) के खण्ड (4) के उपबन्धों के अधीन आज मैंने निम्नलिखित अभिलेखों का ---------- ---------- स्थित

---------- के परिसर से, अभिग्रहण किया है।

स्थान ----------

तारीख ---------- बीज निरीक्षक

अभिगृहीत अभिलेखकों के ब्योरे

तारीख --------- बीज निरीक्षक

प्रारूप 5

बीज विश्लेषक को ज्ञापन।

ज्ञापन का क्रम सं. ----------

प्रेषक, ----------

प्रेषित, बीज विश्लेषक,

अधोवर्णित नमूना बीज अधिनियम, 1966 की धारा 14 उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन और/या धारा 15 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) और (ग) के अधीन परीक्षण और विश्लेषण के लिए, एतद्द्वारा, भेजा जाता है।

(1) नमूने की क्रम संख्या ----------

(2) संग्रह की तारीख और स्थान ----------

(3) विश्लेषण/परीक्षण के लिए भेजी गई वस्तुओं की प्रकृति।

2. इस ज्ञापन की एक प्रति ओर नमूनों के पैकेट को मुद्राबन्द करने के लिए प्रयुक्त मुद्रा की छाप का नमूना डाक/व्यक्ति द्वारा पृथकत: भेजा जा रहा है।

बीज निरीक्षक

तारीख -------- क्षेत्र ----------

जो लागू न हो उसे काट दिया जाए।

प्रारूप 6

प्रेषित, ----------

मैं एतद्द्वारा आपको परीक्षण या विश्लेषण प्रयोजनों के लिए आपके स्टाकों में से बीज का नमूना लेने के अपने आशय की सूचना देता हूँ।

तरीख---------- बीज निरीक्षक

प्रारूप 7

(बीज विश्लेषक द्वारा परीक्षण और/या विश्लेषण का प्रमाण पत्र)

प्रामाणित किया जाता है कि ---------- संख्या वाला (वाले) ---------- का/ के तात्पर्यित नमूना (नमूने) जो ---------- से ज्ञापन संख्या ---------- ------- तारीख ---------- के साथ तारीख ---------- के प्राप्त हुआ था।

परीक्षित/विश्लेषित किया गया है/किए गए हैं और ऐसे परीक्षण/विश्लेषण का/ के परिणाम निम्न कथित रूप में है।

----

2. प्राप्ति के समय पैकेट पर लगी मुद्राओंकी ओर बाह्य आवरण की दशा निम्नलिखित रूप में थी :-

----

स्थान ----------

तारीख ----------

बीज विश्लेषक

केन्द्रीय प्रयोगशाला

यदि किसी अन्य विषय पर राय अपेक्षित हो तो उपयुक्त पैरा जोड़ा जा सकेगा।

प्रारूप ४

प्रेषित, ---------------------

मैंने आज के दिन ------------- स्थित --------------------- के परिसर से नीचे विनिर्दिष्ट बीजों के नमूने बीज विश्लेषक से परीक्षा/विश्लेषण कराने के लिये है।

बीज निरीक्षक

तारीख ---------------------

लिए गए नमूने के ब्योरे

क्या नमूने का मूल्य मांगा गया ?

नमूने का मूल्य -----------------रू. संदत्त किया गया

बीज निरीक्षक

क्षेत्र

उस पक्षकार का हस्ताक्षर जिसके परिसर से नमूना लिया गया और जिसे मूल्य संदाय किया गया।

धन्य कुमार जैन, (एस.एम.एच. बर्नें)

सहायक प्रारूपकार,--------------- -संयुक्त सचिव

भारत सरकार

बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का दसवाँ) की धारा 3 की शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए केन्द्र सरकार निम्नानुसार आदेश बनाती है यथा -

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवंविस्तार** - (1) यह आदेश बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 कहलाएगा।

(क) यह संपूर्ण भारत वर्ष में विस्तारित होता है।

(ख) यह 30 दिसम्बर, 1983 से प्रवृत्त होगा।

2. **परिभाषाएँ** - इस आदेश में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) अधिनियम से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का दसवाँ) अभिप्रेत है।

(ख) ''नियंत्रक'' से केन्द्रीय सरकार द्वारा बीज नियंत्रक के रुप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है, एवंइसमें केन्द्र सरकार द्वारा इस आदेश के अंतर्गत नियंत्रक की सभी या किसी कृत्य को उपयोग करने के लिए सशक्त व्यक्ति सम्मिलित है।

(ग) ''व्यापारी'' से बीजों के विक्रय, आयात व निर्यात के व्यवसाय को जारी रखने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है एवंइसमें व्यापारी का अभिकर्ता भी सम्मिलित है।

(घ) ''निर्यात''से भारत वर्ष के बाहर के किसी स्थान में प्राप्त करना या प्राप्त कराया जाना अभिप्रेत है।

(ङ) ''प्रारुप'' से इस आदेश के साथ संलग्न प्रारुप अभिप्रेत है।

(च) ''आयात'' से भारत के बाहर से भारत के किसी स्थान में लाना या लाए जाने की व्यवस्था करना अभिप्रेत है।

(छ) ''निरीक्षक'' से खण्ड 12 के अंतर्गत नियुक्त बीज निरीक्षक अभिप्रेत है।

(ज) ''पंजीकरण प्राधिकारी'' से खण्ड 11 के अंतर्गत नियुक्त अनुज्ञापन प्राधिकारी अभिप्रेत है।

(झ) ''बीज'' से बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54 वाँ) में यथा परिभाषित बीज अभिप्रेत है।

(ञ) ''राज्य सरकार'' से संघ क्षेत्र में प्रशासक चाहे इसका पदनाम किसी रुप में जाना जाता हो, अभिप्रेत है।

3. **व्यापारी द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त करना** - (1)इस आदेश के तहत प्रदत्त अनुज्ञप्ति की शर्तों एवं निर्बन्धनों के अनुसार के अलावा कोई व्यक्ति किसी स्थान पर बीजों के विक्रय आयात या निर्यात का व्यवसाय जारी नहीं रखेगा।

(2) उपखण्ड में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस उपखण्ड के प्रावधानों से ऐसे क्षेत्र के व्यापारियों के वर्ग ऐसी शर्तों के अधीन जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, मुक्त कर सकेगी।

4. अनुज्ञा के लिए आवेदन पत्र - प्रत्येक व्यक्ति जो बीजों के विक्रय निर्यात या आयातित करने की अनुज्ञा प्राप्ति की वांछा रखता है। प्रारुप क में दो प्रतियों में आवेदन, 1000/-रुपए अनुज्ञप्ति शुल्क के साथ अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को देगा।

5. अनुज्ञप्ति का प्रदान एवंनिरस्त किया जाना - (1) अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी जाँच करने के उपरांत जो कि वह उचित समझे प्रारुप (ख) में अनुज्ञप्ति ऐसे व्यक्ति को प्रदान कर सकेगा जो खण्ड 4 के अंतर्गत आवेदन करता है :

परंतु अनुज्ञप्ति ऐसे व्यक्ति को जारी नहीं की जावेगी -

(क) जिसको इस आदेश के तहत पूर्व में अनुज्ञप्ति जारी की गई थी और यह अनुज्ञप्ति निलंबित है, तो ऐसे निलंबन की अवधि के दौरान।

(ख) जिसको इस आदेश के तहत पूर्व में प्रदत्त अनुज्ञप्ति को निरस्त कर दिया गया है, तो ऐसी निरस्ती की दिनांक से एक वर्ष के भीतर।

(ग) जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का दसवाँ) अथवा इसके अंतर्गत जारी किसी आदेश के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया है आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक के पूर्व तीन वर्षों में दोषसिद्ध किया गया है।

(2) जब अनुज्ञापन प्राधिकारी खण्ड 4 के अंतर्गत आवेदन करने वाले व्यक्ति को अनुज्ञप्तिप्रदान करने वाले व्यक्ति से इंकार करता है, तो ऐसा करने के वह उसके कारणों को अभिलिखित करेगा।

6. अनुज्ञप्ति की वैधता अवधि - इस आदेश के अंतर्गत प्रत्येक अवधि जारी दिनांक से 3 वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगी। यदि पूर्व में निलंबित अथवा निरस्त नहीं कर दी जाती।

7. अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण - अनुज्ञप्ति नवीनीकरण की वांछा रखने वाला प्रत्येक अनुज्ञप्ति धारक अनुज्ञप्ति की दिनांक समाप्त होने के पूर्व दो प्रतियों में नवीनीकरण हेतु प्रारुप ग में अनुज्ञापन अधिकारी को 500/- रुपए नवीनीकरण शुल्क के साथ आवेदन करेगा। ऐसी शुल्क के साथ आवेदन प्राप्त होने पर अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण कर सकता है।

(2) यदि अनुज्ञप्ति समाप्त होने के पूर्व नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया जाता है, परंतु अनुज्ञप्ति निरस्ती की दिनांक से एक माह के भीतर आवेदन

किया जाता है तो अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण अनुज्ञप्ति नवीनीकरण की शुल्क के अलावा 500/- रुपए अतिरिक्त शुल्क भुगतान करने पर किया जा सकेगा।

8. **स्टाक एवंमूल्य सूची का व्यापारी द्वारा प्रदर्शन** - प्रत्येक बीज व्यापारी उसके व्यवसायिक स्थल पर -

(क) उसके द्वारा धारित विभिन्न बीजों का प्रतिदिन के हिसाब से प्रारंभिक एवं अंतिम स्टाक।

(ख) विभिन्न बीजों के मूल्यों या दरें को इंगित करने वाली सूची, प्रदर्शित करेगा।

9. **व्यापारी द्वारा क्रेता को मेमोरेन्डम दिया जाना** - प्रत्येक व्यापारी बीज के क्रेता को नगद या उधार मेमोरेन्डम प्रदान करेगा।

10. **बीज वितरण की शक्ति** - जहाँ लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझा जाए नियंत्रक लिखित आदेश द्वारा किसी उत्पादक या व्यापारी को इससे वर्णित तरीके से किसी बीज के विक्रय या वितरण का निर्देश दे सकता है।

प्रवर्तन प्राधिकारी

11. **अनुज्ञापन प्राधिकारी की नियुक्ति** - राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा व्यक्तियों को ऐसी संख्या को जैसी कि वह उचित समझे अनुज्ञापन प्राधिकारी के रुप में नियुक्त कर सकती है एवंअधिसूचना में ऐसे अनुज्ञापन प्राधिकारी के क्षेत्र में परिभाषित कर सकती है जहाँ वह अपनी अधिकारिता का उपयोग करेंगे।

12. **निरीक्षकों की नियुक्ति** - राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा व्यक्तियों की ऐसी संख्या को जैसी कि वह उचित समझे निरीक्षकों के रूप में नियुक्त कर सकती है एवंअधिसूचना में ऐसे निरीक्षकों के क्षेत्र को परिभाषित कर सकती है जहाँ वह अपनी अधिकारिता का उपयोग करेंगे ।

टिप्पणी

अधिसूचना क्र . बी. 14-3-92-चौदह-2 दिनांक 24 दिसम्बर, 1997 - आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 10) की धारा 3 के अधीन जारी किए गए बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के खण्ड 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गईं समस्त पूर्व अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कलम (2) में विनिर्दिष्ट किए गए अधिकारियों को, जो बीज नियम, 1968 के नियम 22 में विहित अर्हताएँ रखते हों, को उक्त आदेश के अधीन उक्त अनुसूची के कालम (4) में यथा विनिर्दिष्ट अधिकारिता के

भीतर शक्तियों को प्रयोग करने के लिए निरीक्षकों के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात् -

अनुसूची

अनुक्रमांक	अधिकारी	अधिकारिता	प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)
1	कृषि संचालनालय, मध्यप्रदेश,भोपाल में सपदस्थमस्त उप संचालक कृषि, सहायक संचालक कृषि, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी तथा कृषि विकास अधिकारी।	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश	कृषि फसलों के बीज
2	संभागीय संयुक्त संचालक, कृषि के कार्यालय में पदस्थ समस्त सहायक संचालक, कृषि, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विषय वस्तु विशेषज्ञ तथा कृषि विकास अधिकारी।	अपने-अपने संभाग में	कृषि फसलों के बीज
3	समस्त सहायक संचालक कृषि, समस्त वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विषय-वस्तु विशेषज्ञ और कृषि विकास अधिकारी, जो उप संचालक कृषि जिला/इकाई के कार्यालय में पदस्थ हैं और परियोजना कार्यपालन अधिकारी, रायपुर के कार्यालय एवंउपसंभागीय कृषि अधिकारी जिले के उपसंभाग एवंविकासखण्ड या वृत्त स्तर में पदस्थ हैं।	यथास्थिति जिला/इकाई	कृषि फसलों के बीज
4.	उद्यानिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल में पदस्थ समस्त उप संचालक उद्यान एवंसहायक संचालक उद्यान।	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश	उद्यानिकी फसलों के बीज, ट्यूबर्स, बल्बस इत्यादि
5.	संभागीय उप संचालक उद्यान/संयुक्त संचालक उद्यान बस्तर के कार्यालयोंमें पदस्थ समस्त सहायक संचालक उद्यान/परियोजना अधिकारी उद्यान,	अपने-अपने संभाग में	उद्यानिकी फसलों के बीज, ट्यूबर्स, बल्बस इत्यादि
6.	वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी उद्यानाधिकारी जिले के समस्त सहायक संचालक उद्यान परियोजना अधिकारी उद्यान, जिले के विकास खण्ड या वृत्त के वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी उद्यान विकास अधिकारी एवंउद्यान अधीक्षक	यथास्थिति जिला/वि. खण्ड/वृत्त	उद्यानिकी फसलों के बीज, ट्यूबर्स, बल्बस इत्यादि

13. निरीक्षक एवं दण्ड - (1) एक निरीक्षक इस आदेश के पालन को सुनिश्चित करने के विचार से -

(क) उसके द्वारा क्रय, संग्रह, विक्रय के संबंध में आधिपत्य में होने वाले किसी व्यापरी से अपेक्षा करता है।

(ख) इस आदेश के पालन को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे किसी स्थान में प्रवेश एवं तलाशी कर सकता है, जहाँ बीज का संग्रह किया जाता है या विक्रय के लिए प्रदर्शित किया जाता है।

(ग) आयातित बीज एवंविक्रय, निर्यात के आशय के बीजों का नमूना ले सकता है, एवं अनुसूची एक में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार इसको बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54 वाँ) के अंतर्गत अधिसूचित प्रयोगशाला में यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या नमूना दावित किस्म के मानक को पुष्ट करता है कि नहीं भेज सकेगा।

(घ) ऐसे बीज को जप्त अथवा रोक सकेगा जिसके संबंध में उसे यह विश्वास करने का कारण है कि इस आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है।

(ङ) ऐसे बीज के संबंध मेंदस्तावेज एवंलेखा पुस्तकों को जप्त कर सकता है जिसके संबंध में उसे यह विश्वास करने का कारण है कि आदेश का उल्लंघन किया गया है, किया जा रहा है :

परंतु जप्त दस्तावेजों एवंलेखा पुस्तकों के संबंध में ऐसे व्यक्ति को जिससे यह जप्त किए गए हैं, रसीद प्राप्त करेगा :

परंतु आगे यह भी कि, जप्त दस्तावेज या लेखा पुस्तकें उस व्यक्ति को जिससे कि वह जप्त की गई है। इसकी प्रतिलिपि अथवा उद्धरण ऐसे व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित के उपरांत वापिस कर सकेगा।

(2) उपखण्ड 1 के पद (घ) के प्रावधानों के विषयांर्गत रहते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 100 के प्रावधान तलाशी एवं जप्ती के संबंध में यथा सम्भव इस खण्ड के अंतर्गत तलाशियों एवंजप्तियों को प्रयोज्य होंगे।

(3) जहाँ इस खण्ड के अंतर्गत निरीक्षक द्वारा किसी बीज को जप्त किया जाता है, वह जप्ती के तथ्य की तत्काल रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को करेगा। जिसके पास दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का दूसरा) की धारा 457 एवं458 के प्रावधान यथा संभव ऐसे बीजों की अभिरक्षा एवंव्ययन के लिए प्रयोज्य होंगे।

(4) प्रत्येक व्यक्ति यदि निरीक्षक द्वारा अपेक्षा की जाए इस खंड के अंतर्गत उसकी शक्तियों का उपयोग करने में समर्थ होने के उद्देश्य से उसको सभी आवश्यक सुविधाएँ देने के लिए बाध्य होगा।

14. विश्लेषक की सीमा - इस आदेश के अंतर्गत निरीक्षक द्वारा जिस प्रयोगशाला को निरीक्षण हेतु नमूना भेजा जाता है कथित नमूने का विश्लेषण करेगी एवंप्रयोगशाला में नमूना प्राप्त होने की दिनांक से 60 दिवस के भीतर संबंधित निरीक्षक को विश्लेषक रिपोर्ट भेजेगी।

15. अनुज्ञा की निरस्ती/निलंबन - अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का अवसर देने के उपरांत निम्नलिखित आधारों पर अनुज्ञप्ति को निरस्त या

निलंबन कर सकता है - यथा

(क) अनुज्ञप्ति को सारवान विवरण बाबत दुर्व्यपदेशन करके प्राप्त किया गया था।

(ख) इस आदेश के किसी प्रावधान का अथवा अनुज्ञप्ति की शर्त का उल्लंघन किया गया है।

16. अपील - आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति -

(क) बीजों के विक्रय आयात या निर्यात की अनुज्ञप्ति के प्रदाय करने संशोधन करने या नवीनीकरण करने से इंकार करने पर

(ख) किसी अनुज्ञप्ति को निलंबित या निरस्त करने पर

आदेश की दिनांक से 60 दिवस के भीतर ऐसे प्राधिकारी को अपील प्रस्तुत कर सकता है, जिसे इस बाबत राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे एवंऐसे प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

परंतु अपील के आवेदन के साथ 500/- रुपए अपील शुल्क देनी होगी।

टिप्पणी

अधिसूचना क्र. बी. 14-3-92-चौदह-2 दिनांक 24 दिसंबर, 1997 - आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 10) की धारा 3 के अधीन जारी किए गए बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के खण्ड 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद् द्वारा, उक्त आदेश के प्रयोजनों के लिए संभागीय संयुक्त संचालक, कृषि को अपीलीय प्राधिकारी के रुप में विनिर्दिष्ट करती है।

(म. प्र. राजपत्र भाग 1 दिनांक 2-1-98 पृष्ठ 15 पर प्रकाशित)

विविध

17. अनुज्ञप्ति में संशोधन - व्यापारी से लिखित में प्रार्थना प्राप्त होने पर जो कि, 500/- रुपए शुल्क सहित हो अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसे व्यापारी की अनुज्ञप्ति को संशोधन कर सकता है।

18. अभिलेख की देखभाल एवंविवरण आदि की प्रस्तुति - (1) प्रत्येक व्यापारी राज्य सरकार द्वारा यथा निर्देशित उसके व्यापार बाबत पुस्तकों लेखों एवंअभिलेखों को रखेगा।

(2) ऐसा प्रत्येक व्यापारी प्रत्येक माह प्रारुप ग में उसके पूर्व माह के व्यापार के संबंध में अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक विवरण प्रस्तुत करेगा।

प्रारूप (क)

(देखें खण्ड 4)

व्यापारी अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु आवेदन-पत्र का नमूना

प्रति,

पंजीकरण अधिकारी,

..... (स्थान)

राज्य/संघ क्षेत्र

1. आवेदक का पूरा नाम एवंपता

(क) नाम एवंडाक का पता

(ख) व्यवसाय स्थान (कृपया सही पता दीजिए)

(i) विक्रय हेतु

(ii) संग्रह हेतु

2. क्या यह साम्पत्तिक/भागीदारी/लिमिटेड कम्पनी/ अविभक्त हिन्दू परिवार से संबंधित है ? नाम (नामों एवं पता (पतों) जो कि स्वत्वधारी/भागीदारी/मैनेजर/कर्त्ता का हो ।)

3. यह आवेदन किस क्षमता में प्रस्तुत किया गया है ?

(i) स्वत्वधारी

(ii) भागीदारी

(iii) मैनेजर

(iv) कर्त्ता

4. क्या आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक से पिछले पूर्व के तीन वर्षों में आवेदक आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का दसवाँ) अथवा इसके अंतर्गत जारी किसी आदेश के अधीन दोषसिद्ध किया गया है ? यदि ऐसा है तो विवरण दीजिए।

5. व्यापार करने के बीजों का विवरण दीजिए।

क्रम संख्या .....बीज का नाम .....

6. मैं/हमने अनुज्ञप्ति शुल्क 1000 रुपए चालान क्रमांक .....दिनांक.....कोषालय/ बैंक.....में जमा कर दी है।

7. घोषणा

(क) मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य है एवंइसका कोई भाग मिथ्या नहीं है।

(ख) मैं/हमने बीज नियंत्रण आदेश 1983 से संलग्न प्रारूप ''ख'' में अनुज्ञप्ति की दी गई शर्तों एवंनिर्बन्धनों को ध्यानपूर्वक पढ़ दिया है एवंहम पालन करने को तैयार हैं।

दिनांक .....

स्थान..... आवेदक के हस्ताक्षर

टीप - जहाँ बीजों के विक्रय/निर्यात/आयात के व्यापार को एक से अधिक स्थानों पर किया जाना आशयित है। प्रत्येक ऐसे स्थान के लिए पृथक अनुज्ञप्ति प्राप्त की जानी चाहिए।

अनुज्ञापन प्राधिकारी के कार्यालय के उपयोग हेतु

प्राप्ति दिनांक .....आवेदन प्राप्त करने वाले अधिकारी का नाम एवंपद नाम

प्रारूप (ख)

(देखें खण्ड 5)

बीजों में व्यापारी के व्यापार जारी रखने की अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति क्रमांक.....दिनांक.....

बीज (नियंत्रण आदेश, 1983) के प्रावधानों एवंअनुज्ञप्ति की शर्तों एवंनिर्बंधनों के विषयांतर्गत श्री/मेसर्स ..... को इसके द्वारा विक्रय, निर्यात, आयात एवंकथित उद्देश्य के लिए बीजों के संग्रह की अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है।

2. अनुज्ञप्तिधारी उपरोक्त वर्णित व्यापार..... पर जारी रखेगा।

(संग्रह के लिए स्थान एवं विक्रय के लिए स्थान.....)

(तहसील अथवा जिला.....)

दिनांक.....

सील

अनुज्ञापन प्राधिकारी

.....राज्य का

अनुज्ञप्ति की शर्तें एवं निर्बन्धन

(i) जनता के लिए खुले व्यवसायिक परिसर के प्रमुख एवंभाग में अनुज्ञप्ति को प्रदर्शित किया जावेगा।

(ii) अनुज्ञप्ति धारक बीज (नियंत्रक) आदेश, 1983 के प्रावधानों का एवं इसके अंतर्गत जारी एवंतत्समय प्रवृत्त अधिसूचनाओं का पालन करेगा।

(iii) यह अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी एवं ..... तक के लिए वैध होगी। जब तक कि पूर्व में निरस्त अथवा लंबिते नहीं की जाती।

(iv) अनुज्ञप्तिधारी समय-समय पर उसके कथित बीजों के विक्रय, आयात, निर्यात या संग्रह के परिसरों के परिवर्तन की सूचना अनुज्ञापन प्राधिकारी को देगा।

(v) अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञापन प्राधिकारी अथवा उसके प्राधिकार के अधीन कार्यरत अन्य अधिकारी को उसकी दुकान डिपो या गोदाम या उसके द्वारा बीजों के संग्रह, विक्रय या निर्यात के लिए उपयोगित अन्य स्थान/स्थानों के स्टॉक निरीक्षण हेतु सभी सुविधाएँ देगा।

प्रारुप (ग)

(खण्ड 7 देखें)

बीजों में व्यापार हेतु व्यापारी को दी गई अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण का आवेदन-पत्र

प्रति,

अनुज्ञापन प्राधिकारी,

.....(स्थान)

राज्य/संघ क्षेत्र

मैं/हम बीज में व्यापार जारी रखने के व्यापारी के अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु श्री/मेसर्स .....के नाम एवंअभिनाम के अंतर्गत आवेदन करते हैं। नवीनीकरण चाहने वाली अनुज्ञप्ति .....राज्य के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गई थी एवंअनुज्ञप्ति क्रमांक .....दिवस.....19 आबंटित किया गया था।

आवेदक (गण) के हस्ताक्षर

आवेदक (गण) का पूरा नाम एवं पता.....

दिनांक एवं स्थान

यह प्रमाणित किया जाता है कि, अनुज्ञप्ति क्रमांक..................कों बीज म व्यापार जारी रखने के व्यापारी के रूप में......................जो कि परिसर म अवस्थित है, को एतद्द्वारा ....तक के लिए नवीनीकृत किया ज़ाता है जब तक कि बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के प्रावधानों के अंतर्गत पूर्व में इसे निरस या निलंबित नहीं कर दिया जाए।

दिनांक/

नवीनकरण क्रमांक — अनुज्ञापन प्राधिकारी...

सील — ....राज्य क

प्रारुप (घ)

(खण्ड 18 देखें)

1. महीना एवं वर्ष
2. अनुज्ञप्तिधारी का नाम एवंपदनाम

(क्विंटल के रुप में मात्रा)

फसल/किस्म	बीज का वर्ग	मास के प्रथम दिवस में प्रारंभिक स्टॉक	मास के दौरान क्रय की गई मात्रा	कुल आयात की मात्रा
1	2	3	4	5

योग	कुल विक्रय की मात्रा	कुल निर्यात की मात्रा	मास के आखिरी दिन अंतिम स्टॉक
1	2	3	4
(3+4+5)			6- (7 + 8)

व्यापारी के हस्ताक्षर

नाम -

पता -

टिप्पणी

(1) विधिक विरचना।

(2) फलों के बीज।

(3) सब्जी के बीज।

(1) विधिक विरचना - अधिनियम की धारा 3 की शक्तियों को उपयोग में लाते हुए फसल के बीज को आवश्यक वस्तु घोषित करने बाबत बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 की विरचना विधिक मानी गई। सर्वोच्च न्यायालय के मतानुसार इस बाबत शक्तियों का प्रयोग प्राधिकार के अधीन होना माना गया। (रघु सीड्स एण्ड फार्मस् बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ए. आई. आर. 1994 (सु. को. 533)

(2) फलों के बीज - अधिनियम की धारा 3 की शक्तियों का उपयोग में लाते हुए फलों के बीज को आवश्यक वस्तु घोषित करने बाबत बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 की विरचना विधिक मानी गई। सर्वोच्च न्यायालय के मतानुसार इस बाबत शक्तियों का प्रयोग प्राधिकार के अधीन होना माना गया। (रघु सीड्स एण्ड फार्म्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ए.आई.आर.1994 (सु.को.533)

उपरोक्त बिंदु के विपरीत मत म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा निम्न प्रकरण में पारित किया गया है। (सतपाल आनंद बनाम आफ.एम.पी.,ए.आई.आर. 1979 सु.को.म.प्र.6)

(3) सब्जी के बीज - अधिनियम कीधारा 3 की शक्तियों का उपयोग में लाते हुए सब्जी के बीज को आवश्यक वस्तु घोषित करने बाबत बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 की विरचना विधिक मानी गई। सर्वोच्च न्यायालय के मतानुसार इस बाबत शक्तियों का प्रयोग प्राधिकार के अधीन होना माना गया। (रघु सीड्स एण्ड फार्मस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ए.आई.आर. 1994 (सु.को.533)

नाप - तौल अधिनियम 1976 के अन्तर्गत पालन योग्य कुछ मुख्य नियम

1. अपने तौल काँटे व बाटों का सत्यापन विभाग से प्रतिवर्ष निश्चित दिनांक पर करवायें व उन पर सील लगवायें। किये गये सत्यापन की प्रतिलिपि चालान की प्रतिलिपि सहित रिकार्ड में रखें।

2. बेग/कन्टेनर/पाउच का वजन सही रखें व उन पर ''शुद्ध-वजन '' प्रिन्ट करवायें व एवं ''शुद्ध - वजन जब पेक किया गया '' नहीं प्रिन्ट करवायें। नाप-तौल विभाग द्वारा मौसमी बदलाव के कारण कुछ वस्तुओ के लिये ही ''शुद्ध- वजन जब पेक किया गया'' को प्रिन्ट करने की अनुमति दी गई है। विभाग से ऐसी वस्तुओं की सूची प्राप्त करके ही इस प्रकार का प्रिंट करवायें अन्यथा नहीं करवायें। खरीफ में उत्पादित बीज पेकिंग पश्चात् सोख के कारण ''शुद्ध वजन '' से भी कम हो जाते है, अत: ऐसे बीजों के शुद्ध वजन हेतु कुछ अतिरिक्त मात्रा भी पेकेज में रखें जिससे कम वजन की शिकायत नहीं प्राप्त हो।

3. उत्पादक कम्पनी के रजिस्टर्ड आफिस या प्लान्ट का पूर्ण पता पिन नम्बर सहित पेकेज पर प्रिन्ट करवायें। यदि उत्पादक कम्पनी द्वारा पेकिंग नहीं की जा रही है, तो मार्केटिंग कम्पनी का पूरा पता पिन नम्बर सहित पेकेज पर प्रिन्ट करवायें।

4. ''कन्स्यूमर-केयर'' के अन्तर्गत पेकेज पर उत्पादक - कम्पनी के जुम्मेदार व्यक्ति का नाम व फोन नम्बर प्रिन्ट करवाये यदि उत्पादक कम्पनी द्वारा पेकेज की पेकिंग नहीं की जा रही है तो मार्केटिंग करने वाली कम्पनी के जुम्मेदार व्यक्ति कानाम, पता व फोन नम्बर प्रिन्ट करवायें। यदि ''ई-मेल '' हो तो ई-मेल भी प्रिन्ट करवाये।

5. एम.आर.पी. में राशि काट कर एवं बढा कर स्टिकर लगाने की अनुमति नहीं है। यदि राशि कम की गई है, तो स्टिकर लगाने की अनुमति है, किन्तु पूर्व में प्रिन्ट की गई एम.आर.पी. भी स्पष्ट रूप से दिखना चाहिये।

6. एम.आर.पी. के अतिरिक्त अन्य घोषणा करने के लिये स्टिकर लगाने की अनुमति विभाग द्वारा दी गई है।